

बैंक जमा नीति Policy on Bank Deposits

जमा नीति / Deposit Policy 2018-19

क्रम सं. Sr. No	मद सं. Point No.	विवरण Particulars
1.	1	प्रस्तावना Preamble
2	2	जमा खातों के प्रकार Types of Deposit Accounts
3	3	खाता खोलना एवं जमा खातों का परिचालन Account Opening and Operation of Deposit Accounts
	3.1	ग्राहक पहचान प्रक्रिया Customer Identification Procedure
	3.2	निम्न जोखिम वाले ग्राहकों का आवधिक अद्यतन Periodic updation of Low Risk Customers
	3.3	एक ही ग्राहक द्वारा नए खाते खोलने के लिए बार-बार केवाईसी की आवश्यकता नहीं Non-requirement of repeated KYC for the same customer to open new accounts
	3.4	जमकर्ताओं के फोटोग्राफ Photographs of Depositors
	3.5	चालू खाता खोलना-अनुशासन की आवश्यकता Opening of Current Accounts- Need for Discipline
	3.6	विवाह या अन्य किन्हीं कारणवश नाम में परिवर्तन करना Change in Name on account of Marriage or otherwise
	3.7	बचत खाता एवं चालू खाताधारक को वैकल्पिक वितरण चैनल की सुविधा प्रदान करना Extension of alternate Delivery Channels to savings Bank & Current Deposit account holders
4	4	खातों में परिचालन Operations in the account
	4.1	संयुक्त खाताधारकों के नाम को जोड़ना/हटाना और जमा को अलग करना Addition/Deletion of Names of joint account holders and splitting of deposit
5	5	नामिती की सुविधा Nomination Facility
	5.1	नामिती की पावती Acknowledgement of nomination
	5.2	नामिती का पंजीकरण Registering the Nomination
	5.3	बचत खाता एवं पेंसन खाता में अलग-अलग नामिती Separate Nomination for savings Bank Account and Pension account
	5.4	सुरक्षित जमा लॉकर / सुरक्षित हिरासत सामग्री में नामिती की सुविधा Nomination in Safe Deposit Lockers / Safe Custody Articles

	5.5	नामिती/उत्तरजीविता खंड के लाभों के बारे में ग्राहकों का मार्गदर्शन करना और प्रचार करना Customer Guidance and Publicity Educating Customers on the benefits of nomination / survivorship clause
6	6	आधारभूत बचत जमा खाता Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA)
7	7	ब्याज का भुगतान Interest Payments
	7.1	श्वओन द्वारा खाता निष्क्रिय किए जाने पर ब्याज का भुगतान Payment of Interest on accounts Frozen by Branches
	7.2	घरेलू जमा पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान Payment of additional Interest on Domestic Deposits
8	8	निष्क्रिय/डौरमेंट खाता Inoperative / Dormant accounts
9	9	अवयस्क खाता Minor's Accounts
10	10	दृष्टिवधित व्यक्तियों का खाता Accounts of Visually Impaired/Challenged Persons
11	11	बूढ़े/अक्षम व्यक्तियों का बचत खाता Savings Bank Account of Old /Incapacitated Persons
12	12	ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और कई विकलांग व्यक्तियों के खाते Account of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation & multiple disabilities
13	13	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खाते Accounts of Transgender persons
14	14	दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए बैंकिंग सुविधा आसान करना : द्वार पर बैंकिंग Ease in Banking facility for senior citizens and differently abled persons including those who are visually impaired: Door step banking
15	15	निरक्षर व्यक्तियों के खाते Account of Illiterate Person
16	16	ग्राहक सूचना Customer Information
	16.1	क्रॉस-सेलिंग उद्देश्यों के लिए ग्राहकों से जानकारी एकत्र करना Collecting information from customers for cross-selling purposes
17	17	ग्राहक के खातों की गोपनीयता Secrecy of Customer's Accounts
18	18	इंट्रा-बैंक डिपॉजिट अकाउंट पोर्टेबिलिटी Intra-Bank Deposit Accounts Portability
19	19	मियादी जमा में परिचालन Operations in Term Deposit
	19.1	मियादी जमा का समय से पूर्व आहरण Premature Withdrawal of Term Deposit
	19.2	मियादी जमा का असामयिक नवीकरण Premature Renewal of Term deposit
	19.3	अतिदेय सावधि जमा का नवीकरण Renewal of overdue Term deposits
	19.4	नियत तारीख पर मियादी जमा का स्वतः नवीकरण Automatic Renewal of term Deposit on Due Date
	19.5	जमा के बदले अग्रिम Advances against Deposits
	19.6	मियादी जमा रसीद जारी करना Issue of Term Deposit Receipt

	19.7	ग्राहकों को समय से टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करना Timely issue of TDS Certificate to Customers
	19.8	घरेलू मियादी जमा की अवधि Tenor of Domestic Term Deposit
20	20	मृतक जमा खाते में बकाए का निपटान Settlement of dues in Deceased Depositor Account
21	21	लापता व्यक्तियों के दावों का निपटान Settlement of Claims in respect of Missing Person
22	22	जमा का बीमा कवर Insurance Cover for Deposits
23	23	स्टॉप पेमेंट की सुविधा Stop Payment Facility
24	24	खाता बंद करना Closure of account
25	25	बासी या पोस्ट डेटेड चेक Stale or Post Dated cheques
26	26	बैंक का सामान्य लियन Bank's General Lien
27	27	शिकायतों का निवारण Redressal of Complaints and Grievances
28	28	चेक बुक Cheque Books
	28.1	अधिक संख्या में चेक बुक जारी करना Issuing Large number of Cheque Books
	28.2	किसी भी भाषा में चेक पर लिखना Writing the Cheques in any Language
	28.3	कुरियर द्वारा चेक बुक का प्रेषण Dispatching the Cheque Book by courier
	28.4	भुगतान के लिए राष्ट्रीय कैलेंडर (शक संवत्) के अनुसार एक तारीख को चेक की स्वीकृति Acceptance of Cheques bearing a date as per National Calendar (Saka Samvat)for Payment
	28.5	मल्टीसिटी/सभी शाखाओं में भुगतान योग्य चेक जारी करना Issue of Multicity/payable at all Branches Cheques
29	29	विविध Miscellaneous
	29.1	पास बुक में प्रविष्टि/खाते का विवरण Entries in Pass Books/ Statement of accounts
	29.2	पासबुक का अद्यतन Updating Passbooks
	29.3	पासबुक/खाते का विवरण में शाखा का पता/टेलीफोन संख्या Address/ Telephone number of the branch in Pass books / Statement of accounts
	29.4	बचत खाता पासबुक का रख-रखाव : सावधानियाँ Maintenance of Savings Bank Pass books : Precautions
	29.5	खाताओं का मासिक विवरणी प्रदान करना Proving monthly statement of Accounts
	29.6	पासबुक/खाता विवरणी पर एमसीएलआर कोड एवं आईएफएससी कोड का मुद्रण Printing of MICR code & IFSC code on Passbook / Statement of Account
30	30	एक शाखा से दूसरी शाखा में खातों का हस्तांतरण Transfer of accounts from one Branch to Another
31	31	बचत खाता में न्यूनतम शेष राशि Minimum Balance in saving Bank Accounts

	31.1	01.04.2015 से दंडात्मक शुल्क वसूलना Levy of penal charges with effect from 01.04.2015
32	32	रु. 50000/- एवं उससे अधिक मूल्य के निधि का विप्रेषण Remittance of Funds for Value of Rs 50000/- and above
33	33	काउंटर पर नकद स्वीकार करना Acceptance of Cash Over the Counter
34	34	सुरक्षित जमा लॉकर Safe Deposit Lockers
35	35	काउंटर पर सेवा प्रदान करना Service at the counters
	35.1	बैंकिंग समयों में परिवर्तन Changes in Banking hours
	35.2	कार्य-अवधि को शुरू करना/बढ़ाया जाना Commencement / Extension of working hours
	35.3	गैर-नकदी बैंकिंग लेनदेन हेतु बधाई गई कार्य-अवधि Extended business hours for non-cash banking transactions
36	36	ग्राहकों के स्टैंडिंग इन्स्ट्रक्शन को स्वीकार करना Accepting standing instructions of customers
37	37	लेनदेन को पूर्णांकित करना Rounding off of transactions
38	38	ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का कोड Code of Bank's commitment to customers
39	39	परिचालन मैटर्स पर स्पष्टता Clarification on Operational Matters
		ग्राहक पहचान प्रक्रिया / ओवीडी -अनुबंध Customer Identification Procedure/OVDs -Annexure

1. प्रस्तावना PREAMBLE

बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ऋण देने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करना है। वास्तव में, जमाकर्ता बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख हितधारक हैं। जमाकर्ताओं और उनकी रुचि भारत में बैंकिंग के लिए विनियामक फ्रेम कार्य का केंद्र बिंदु बनती है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निहित है। भारतीय रिजर्व बैंक को समय-समय पर जमा खातों के संचालन के संबंध में जमा और अन्य पहलुओं पर ब्याज दरों के निर्देश जारी करने का अधिकार है। वित्तीय प्रणाली में उदारीकरण और ब्याज दरों को कम करने के साथ, बैंक अब आरबीआई द्वारा जारी किए गए व्यापक दिशानिर्देशों के भीतर जमा उत्पाद तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जमा पर यह नीति दस्तावेज बैंक और बैंक और BCSBI के नए विनियमों और अन्य सरकारी निकायों द्वारा पेश किए गए विभिन्न प्रावधानों के आलोक में खातों के संचालन को संचालित करने वाले बैंक और नियमों और शर्तों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जमा उत्पादों के निर्माण के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। दस्तावेज़ जमाकर्ताओं के अधिकारों को पहचानता है और ग्राहकों के लाभ के लिए सूचना के प्रसार के उद्देश्य से जनता के सदस्यों से जमा की स्वीकृति के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न जमा खातों के संचालन और संचालन, जमा खातों को बंद करने, निपटान का तरीका है मृतक जमाकर्ताओं, आदि की जमा राशि। यह उम्मीद की जाती है कि यह दस्तावेज़ व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ व्यवहार करने और उनके अधिकारों के ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने में अधिक पारदर्शिता प्रदान करेगा। अंतिम उद्देश्य यह है कि ग्राहक को वे सेवाएँ मिलेंगी जिन्हें वे बिना मांगे प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। अंतिम उद्देश्य यह है कि ग्राहक को वे सेवाएँ मिलेंगी जो वे बिना माँग के प्राप्त करने के हकदार हैं।

इस नीति को अपनाते हुए, बैंक बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में उल्लिखित व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। यह दस्तावेज़ एक व्यापक रूपरेखा है जिसके तहत आम जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। विभिन्न जमा योजनाओं और संबंधित सेवाओं पर विस्तृत परिचालन निर्देश लागू हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों में कोई संशोधन, अगर वारंट किया गया है और नए उत्पादों पर परिचालन दिशानिर्देश भी समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

2. जमा खातों के प्रकार TYPES OF DEPOSIT ACCOUNTS

बैंक विभिन्न जमा उत्पाद प्रदान करता है, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार की जमा योजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- "डिमांड डिपॉजिट" का अर्थ है बैंक द्वारा प्राप्त जमा जो मांग पर वापस लेने योग्य है।
- "सेविंग्स डिपॉजिट्स" का अर्थ है एक प्रकार का डिमांड डिपॉजिट, जो किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत निकासी की राशि के साथ ही निकासी की संख्या के अधीन है।
- "सावधि जमा" से तात्पर्य बैंक द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद सामान्य रूप से आहरण की गई जमा राशि से है, जिसमें आवर्ती जमा, सावधि जमा, जमा प्रमाण पत्र आदि जैसे जमा शामिल हैं।
- "करंट अकाउंट" का मतलब है कि डिमांड डिपॉजिट का एक रूप जहां से किसी भी समय रकम निकालने या किसी विशेष सहमत राशि तक के आधार पर निकासी की अनुमति दी जाती है। "करंट अकाउंट" का मतलब है कि डिमांड डिपॉजिट का एक रूप जहां से किसी भी समय रकम निकालने या किसी विशेष सहमत राशि तक के आधार पर निकासी की अनुमति दी जाती है।

3. खाता खोलना एवं जमा खातों का परिचालन ACCOUNT OPENING AND OPERATION OF DEPOSIT ACCOUNTS

खाता खोलते समय, शाखाएं बैंक की ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार "नो योर कस्टमर" (केवाईसी) दिशानिर्देशों की अवधारणा को लागू करने के लिए उचित परिश्रम प्रक्रिया का पालन करेंगी और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 एवं उसके बाद जारी संशोधनों/अनुदेशों के तहत बैंकों पर दी गयी ज़िम्मेदारी दायित्व को पूरा करने के लिए आरबीआई के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगी। पीएमएलए के नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, लेनदेन की निगरानी के लिए ग्राहकों को जोखिम में डालना पड़ता है और इस प्रकार एक संभावित ग्राहक की अनिच्छा या अक्षमता के कारण आवश्यक जानकारी / दस्तावेज उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप शाखा में खाता नहीं खुल सकता है। यदि किसी भावी जमाकर्ता के खाते को खोलने के निर्णय को अगले उच्च स्तर पर मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो खाता खोलने में किसी भी देरी का कारण उसे / उसके बारे में सूचित किया जाएगा और बैंक का अंतिम निर्णय उसे / उसके लिए जल्द से जल्द सूचित किया जाएगा।

संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए ग्राहक प्रोफ़ाइल की आवधिक अपडेशन के लिए शाखा द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक मौजूदा ग्राहक की अक्षमता के कारण भी ग्राहक को प्रदान की गई सूचना के बाद खाता बंद हो सकता है। वैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए ग्राहक प्रोफ़ाइल की आवधिक अपडेशन के लिए शाखा द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक मौजूदा ग्राहक की अक्षमता के कारण भी ग्राहक को प्रदान की गई सूचना के बाद खाता बंद हो सकता है।

समुचित प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं :

- व्यक्ति की पहचान करना
- भावी खाताधारक के पते का सत्यापन
- उसके पेशे एवं सामान्य आय स्रोतों से संतुष्ट होना
- खाता खोलने/का परिचालन करने वाले व्यक्ति का हाल ही का एक फोटो प्राप्त करना
- केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचय जानना समुचित प्रक्रिया का भाग नहीं है। अतः परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है यदि ग्राहक केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के तहत अन्य सभी जरूरतों को पूरा करता है।

प्रत्येक ग्राहक के लिए पहचान दस्तावेज प्राप्त करना अनिवार्य है, और ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के मामले में RBI द्वारा अनुमत छूट के अलावा, किसी तृतीय पक्ष द्वारा परिचय KYC प्रलेखन का विकल्प नहीं है: कुछ शर्तों के अनुसार, जैसे कि वित्तीय समावेशन के तहत "मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)" । सामाजिक रूप से वंचित लोग जो पहचान / पता प्रमाण दस्तावेजों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं, वे समय-समय पर बैंक द्वारा तय सीमा तक प्रतिबंधित बैंकिंग कार्यों के अधीन, इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पहचान, पते के प्रमाण या परिचय प्रदान करके खाता खोल सकते हैं।

केवाईसी मानदंडों के तहत यथोचित परिश्रम आवश्यकताओं के अलावा, शाखाओं को कानून, आधार संख्या, स्थायी खाता संख्या (पैन) या सामान्य सूचकांक रजिस्टर (जीआईआर) संख्या प्राप्त करने के लिए या आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या 60 में वैकल्पिक रूप से घोषणा की आवश्यकता होती है।

भावी खाता धारक को ग्राहक प्रोफाइल फॉर्म (पहली बार या प्रोफाइल के अद्यतन के दौरान) और खाता खोलने का फॉर्म (बिना किसी रिक्त स्थान को छोड़े) को ठीक से भरना चाहिए। उक्त प्रपत्र में सत्यापन और / या रिकॉर्ड के लिए उत्पादित की जाने वाली जानकारी और दस्तावेजों का विवरण है। शाखा अधिकारी भावी खाताधारक को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को समझाने और खाता खोलने के फॉर्म के बारे में आवश्यक स्पष्टीकरण देने में मदद करेंगे। खाता खोलने के फॉर्म और ग्राहक प्रोफाइल फॉर्म में दी जाने वाली जानकारी का विवरण अनिवार्य के साथ-साथ वैकल्पिक है। संभावित ग्राहक को अनिवार्य जानकारी देनी होगी और ऐसा करने की इच्छा होने पर वैकल्पिक जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।

जमा खातों के लिए, बैंक ऐसे खातों के संचालन को संचालित करने वाले नियमों और शर्तों के भाग के रूप में बनाए रखने के लिए कुछ न्यूनतम शेष राशि निर्धारित कर सकता है। बचत बैंक और चालू खाते में न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने में विफलता समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट दंड शुल्क के रूप में वसूल की जाती है। बचत बैंक खाते के लिए, बैंक एक निश्चित अवधि के दौरान निकासी की संख्या पर प्रतिबंध लगा सकता है। चेक बुक जारी करने के लिए सेवा शुल्क, खातों का अतिरिक्त / डुप्लिकेट विवरण, फोलियो, प्रवेश शुल्क, एटीएम / डेबिट कार्ड शुल्क, हस्ताक्षर का सत्यापन, चेक की वापसी, शासनादेश या खाते की शैली में बदलाव आदि समय-समय पर वसूल किए जाएंगे, जैसा लागू हो। खाते के संचालन के लिए नियम और विनियम और सेवा शुल्क की अनुसूची, खाता खोलने के समय भावी खाताधारक को सूचित किया जाएगा। नियमों और विनियमों और सेवा शुल्कों की अनुसूची में कोई भी बदलाव ग्राहकों की जागरूकता के लिए अग्रिम रूप से अपनी प्रभावी तिथि से एक महीने पहले और बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा। यदि आरबीआई / भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कोई बदलाव तुरंत प्रभाव से किया जाना है तो इस तरह के परिवर्तन तदनुसार प्रभावी होंगे।

बचत बैंक खाते समय-समय पर पात्र व्यक्ति (यों) और कुछ संगठनों / एजेंसियों (भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) द्वारा खोले जा सकते हैं।

चालू खाते व्यक्तियों / साझेदारी फर्मों / निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों / एचयूएफ / निर्दिष्ट एसोसिएट्स / ट्रस्ट / सोसायटी, सरकार (केंद्रीय या राज्य), सीमित देयता भागीदारी आदि द्वारा बनाए गए प्राधिकरणों के विभागों द्वारा खोले जा सकते हैं।

सावधि जमा खाते व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, HUFs, निर्दिष्ट एसोसिएट्स, सोसायटी, ट्रस्ट, सरकार (केंद्रीय या राज्य), प्राधिकरण देयता भागीदारी आदि द्वारा बनाए गए प्राधिकरणों के विभागों द्वारा खोले जा सकते हैं।

जमा खाते एक व्यक्ति (एकल नाम से खाता) या दो या अधिक व्यक्तियों (संयुक्त खाते के रूप में जाना जाता है) द्वारा खोला जा सकता है। बचतकर्ता बैंक खाता और सावधि जमा खाता प्राकृतिक संरक्षक या अदालत (कानूनी अभिभावक) द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा अवयस्क के नाम से खोला जा सकता है। हालांकि, बचत बैंक और सावधि जमा खाता माता-पिता द्वारा अभिभावक के रूप में खोला जा सकता है, भले ही प्राकृतिक संरक्षक (पिता) निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो: -

माँ द्वारा एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि: -

- पैसा उसका है और उसी को अवयस्क के खाते में जमा किया गया है।
- खाता हमेशा क्रेडिट में रहेगा और किसी भी परिस्थिति में उसे ओवरड्रेन नहीं होने दिया जाएगा।
- केवल नकद लेनदेन की अनुमति होगी और अवयस्क के नाम पर तैयार किए गए चेक / लाभांश वारंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

10 वर्ष से अधिक आयु के अवयस्कों को भी स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति होगी। हालांकि, इन नाबालिगों को कोई ओवरड्राफ्ट नहीं दिया जाएगा।

सावधि जमा खाता 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं खोला जा सकता है। हालांकि, अवयस्क के मामले में एक सक्षम अदालत के आदेश के संदर्भ में अपवाद बनाया जाएगा जहां अवयस्क का ब्याज और निधि के सृजन के लिए जैसे डूबता हुआ कोष / परिशोधन निधि आदि शामिल है।

3.1. ग्राहक पहचान प्रक्रिया CUSTOMER IDENTIFICATION PROCEDURE

खाता खोलने के लिए केवाईसी / एएमएल पर आरबीआई के निर्देशों का सभी शाखाओं द्वारा सख्ती से पालन किया जाना है। ग्राहकों से प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में - विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं।

3.2 कम जोखिम वाले ग्राहकों का आवधिक अद्यतन PERIODIC UPDATION OF LOW RISK CUSTOMERS

शाखाओं को समय-समय पर अपडेशन के समय पहचान और पते के नए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उन ग्राहकों से जिन्हें कम जोखिम 'के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनकी पहचान और पते के संबंध में स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में। ग्राहक द्वारा उस प्रभाव के लिए एक स्व-प्रमाणन ऐसे मामलों में पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे कम जोखिम 'वाले ग्राहकों के पते के परिवर्तन के मामले में, वे केवल डाक / डाक द्वारा प्रमाण पत्र (पते का प्रमाण) की प्रमाणित प्रति आदि भेज सकते हैं, शाखाएं आवधिक अद्यतन के समय ऐसे कम जोखिम वाले ग्राहक की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं दे सकती हैं।

3.3 एक ही ग्राहक का नया खाता खोलने के लिए केवाईसी की आवश्यकता नहीं NON -REQUIREMENT OF REPEATED KYC FOR THE SAME CUSTOMER TO OPEN NEW ACCOUNTS

यदि एक बैंक का मौजूदा केवाईसी अनुपालन ग्राहक उसी बैंक में एक और खाता खोलने की इच्छा रखता है, तो उद्देश्य के लिए पहचान के नए प्रमाण और / या पते के प्रमाण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

3.4 जमाकर्ताओं के फोटोग्राफ्स PHOTOGRAPHS OF DEPOSITORS

शाखाओं को निम्नलिखित विवरणों के अधीन उनके द्वारा खोले गए खातों के संबंध में सभी जमाकर्ताओं / खाताधारकों की रिकॉर्ड तस्वीरें प्राप्त करनी चाहिए :

- दिए गए अनुदेशों में मीयादी, आवर्ती, संचयी, आदि सहित सभी प्रकार के जमा शामिल हैं।
- ये सभी श्रेणी के जमाकर्ताओं पर लागू होते हैं, चाहे वे निवासी हों या अनिवासी। केवल बैंकों, स्थानीय प्राधिकरणों और सरकारी विभागों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी निकायों को छोड़कर) को तस्वीरों की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
- शाखाएं केवल स्टाफ के सदस्यों (एकल / संयुक्त) के खातों के मामले में फोटो प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दे सकती हैं।
- शाखाओं को बिना किसी अपवाद के खातों, बचत बैंक और चालू खातों को संचालित करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्तियों की तस्वीरें प्राप्त करनी चाहिए।
- शाखाओं को 'पर्दानशी' महिलाओं की तस्वीरें भी प्राप्त करनी चाहिए।
- शाखाएं 2 प्रति फोटोग्राफ ले सकती हैं और यदि फोटो पर्याप्त न हो तो फोटोयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट की छायाप्रति भी ले सकती हैं।
- जब तक कि बहुत अधिक आवश्यकता न हो, तब तक शाखाओं को 'सेल्फ' या 'धारक' चेक के मामले में नकद आहरण करने के लिए खाताधारक की उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। बैंक को सामान्य सावधानी बरतते हुए 'सेल्फ' या 'धारक' चेक का भुगतान करना चाहिए।
- फोटोग्राफ नमूना हस्ताक्षर का एक विकल्प नहीं हो सकता।
- तस्वीरों के केवल एक सेट की आवश्यकता है और जमा की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग तस्वीरें प्राप्त नहीं की जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार के डिपॉजिट खातों के लिए आवेदन को ठीक से संदर्भित किया जाना चाहिए।
- खाताधारक द्वारा अतिरिक्त खाता खोलने के लिए नई तस्वीरें प्राप्त नहीं की जानी चाहिए।
- परिचालित खातों यथा बचत एवं चालू खातों के मामलों में, खातों के परिचालन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के फोटोग्राफ लिए जाने चाहिए। अन्य जमा यथा मीयादी, आवृत्ति, संचयी आदि के मामलों में सभी जमाकर्ताओं की तस्वीरें प्राप्त की जानी चाहिए जिनके नाम पर जमा रसीद हैं, यदि जमा अवयस्क के नाम पर है वैसे मामले में अभिभावकों की तस्वीरें प्राप्त की जानी चाहिए।

3.5 चालू खाता खोलना – शिष्टाचार की आवश्यकता

OPENING OF CURRENT ACCOUNTS - NEED FOR DISCIPLINE

- एनपीए स्तर में कमी के लिए क्रेडिट अनुशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, शाखाओं को चालू खाते खोलने के समय, इस आशय की घोषणा पर जोर देना चाहिए कि खाता धारक किसी अन्य बैंक के साथ क्रेडिट सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है। शाखाओं को उन संस्थाओं के चालू खातों को नहीं खोलना चाहिए जो विशेष रूप से ऋण बैंक (नों) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना बैंकिंग प्रणाली से क्रेडिट सुविधाओं (निधि आधारित या गैर-निधि आधारित) का लाभ उठाते हैं। निधियों के निस्तारण को बढ़ावा देना अवहेलना माना जा सकता है। शाखाओं को सूचित किया जाता है कि यदि ऐसे उल्लंघन आरबीआई के संज्ञान में आते हैं या आरबीआई द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया जाता है तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंक इसके लिए दंड का भागीदार होगा।
- एक पखवाड़े की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि के बाद मौजूदा बैंकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में शाखाएं संभावित ग्राहकों के चालू खाते खोल सकती हैं। यदि एक पखवाड़े के भीतर प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, तो

शाखाओं को संबंधित बैंक द्वारा संभावित ग्राहक पर दी गई जानकारी के संदर्भ में स्थिति का आकलन करना चाहिए और औपचारिक रूप से कोई आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, ग्राहक को सच्ची स्वतंत्रता के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार बैंक द्वारा ग्राहक पर संगत परिश्रम करना चाहिए।

- एक भावी ग्राहक के मामले में, जो एक से अधिक बैंकों से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लेने वाला कॉर्पोरेट या बड़ा कर्जदार है, उसके लिए शाखाओं को उचित परिश्रम करना चाहिए और यदि कंसोर्टियम के तहत, और अन्य बैंकों से संबंधित है, तो कई बैंकिंग व्यवस्था के तहत, कंसोर्टियम लीडर को सूचित करना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी उधारकर्ताओं के क्रेडिट एक्सपोजर पर डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने और प्रचार करने के लिए बड़े क्रेडिट्स (CRILC) पर एक केंद्रीय सूचना केंद्र की स्थापना की है। शाखाओं को सीआरआईएलसी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा से सत्यापित करना चाहिए कि क्या ग्राहक किसी अन्य बैंक से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा रहा है। इसके अलावा बैंक अदाकर्ता बैंक से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" भी मांग सकते हैं, जहां करंट अकाउंट में शुरुआती जमा चेक के जरिए किया जाता है।
- निधियों का निस्तारण उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अवहेलना मानी जाएगी। शाखाओं को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार की अवहेलना यदि आरबीआई के संज्ञान में लाया जाता है या आरबीआई द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया जाता है तो बैंककारी अधिनियम, 1949 के तहत बैंक दंड का भागीदार होगा।

3.6 विवाह या अन्य कारणों से नाम में परिवर्तन

CHANGE IN NAME ON ACCOUNT OF MARRIAGE OR OTHERWISE -

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि "दस्तावेज़ को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़' माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई परिवर्तन हो, बशर्ते कि यह राज्य सरकार या राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो, जो नाम के ऐसे परिवर्तन का संकेत देता है।" उपरोक्त के मद्देनजर शाखाओं के लिए यह आदेश होगा कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति या राजपत्र अधिसूचना एक व्यक्ति के नाम में परिवर्तन के संकेत के साथ "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़" की प्रति संभावित ग्राहकों से साथ ही मौजूदा ग्राहकों से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्वीकार करें :

- (a) खाता आधारित संबंध स्थापित करते समय While establishing an account based relationship
- (b) आवधिक अद्यतन करते समय While undergoing periodic updation exercise.

3.7 बचत खाता एवं चालू खाताधारकों को वैकल्पिक वितरण चैनल की सुविधा प्रदान करना Extension of Alternate Delivery Channels to Savings Bank & Current Deposit account holders:-

शाखाएँ एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का विकल्प प्रदान करती हैं, जिसमें ग्राहकों को अपने बैंकिंग लेनदेन का संचालन करने के लिए एसएमएस बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। जहां भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं को मूल खाते / उत्पाद के एक भाग के रूप में पेश किया जाता है, शाखाओं को सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित जोखिम की व्याख्या करने के बाद ग्राहकों की विशिष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

4. खातों में परिचालन OPERATIONS IN THE ACCOUNT

चालू खाता केवल चेक द्वारा संचालित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए खाताधारक को चेक बुक जारी की जाएगी। बचत खाते के मामले में इसे चेक या आहरण फोरम के माध्यम से परिचालित किया जाएगा। आपात की स्थिति में, ग्राहकों से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर शाखा चेक का पता भी जारी कर सकती है। बचत खाते में चेक बुक जारी करने के लिए बैंक विभिन्न न्यूनतम शेष राशि मानदंड निर्धारित कर सकता है। सामान्य परिस्थिति में बचत जमा खाता धारकों को 20 पत्तों वाली अधिकतम दो चेक बुक तथा चालू खाताधारकों को 50 पत्तों वाली अधिकतम चार चेक बुक जारी किए जाएंगे। बड़ी संख्या में चेक बुक के लिए अनुरोध करने पर शाखा अधिकारियों द्वारा उनके तत्काल और अल्पकालिक व्यापार आवश्यकताओं के बारे में पूछताछ की जाएगी और केवल वास्तविक आवश्यकताओं के मामले में ही इसे अर्जित किया जाएगा।

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नामों से खोले गए एक बचत बैंक और चालू जमा खाते को खाताधारकों द्वारा दिए गए शासनादेश के अनुसार संचालित किया जाएगा जैसे या तो दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी / कोई भी या उत्तरजीवी (एस) / पूर्व या उत्तरजीवी / सभी द्वारा / कोई भी दो संयुक्त रूप से, आदि। खाते के संचालन के लिए मैंडेट को संयुक्त रूप से सभी खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नामों में खोला गया एक जमा खाता परिपक्वता की तारीख और / या एक या अधिक संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु पर खाते में शेष राशि के निपटान के लिए एक मैंडेट होगा। संयुक्त नामों में सावधि जमा के समय से पहले बंद होने के मामले में, सभी जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से अनुरोध पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दिए गए मैंडेट को सभी संयुक्त खाताधारकों की सहमति से खाते के कार्यकाल के दौरान संशोधित किया जा सकता है। ये मैंडेट इस प्रकार हैं :

- या तो दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी **Either or Survivor**: यदि खाता किन्हीं दो व्यक्ति जैसे क और ख के नाम पर है, ब्याज के साथ अंतिम शेष राशि, यदि लागू हो, तो खाताधारक या ए में से किसी एक या बी या किसी भी खाताधारक की मृत्यु होने पर जीवित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।
- **कोई एक या उत्तरजीवी यों) Anyone or Survivor(s)**: यदि खाता दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है जैसे क, ख और ग, यदि लागू हो तो ब्याज के साथ अंतिम शेष, खाता धारकों में से किसी एक को अर्थात ए या बी या सी यदि उनमें से सभी जीवित हैं या उत्तरजीवी (एस) में से किसी एक / खाता धारकों की मृत्यु पर जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर भुगतान किया जाएगा।
- **प्रथम धारक या उत्तरजीवी Former or Survivor**: यदि खाता किन्हीं दो व्यक्ति जैसे क एवं ख के नाम पर है, यदि लागू हो तो ब्याज सहित अंतिम शेष राशि प्रथम धारक को भुगतान की जाएगी और किसी एक खाताधारक के मृत्यु पर उत्तरजीवी को भुगतान की जाएगी।
- **संयुक्त परिचालन Operated Jointly**: वैसे खाते जिसका परिचालन अनुदेश "संयुक्त परिचालन" है तो ऐसे खाते में सभी प्रकार परिचालन एवं अनुदेश को सभी खाताधारकों के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकार किए जाएंगे।

उपर्युक्त मैडेट केवल सावधि जमा के मामले में परिपक्वता की तारीख पर या उसके बाद ही लागू होंगे। इस मैडेट को सभी खाता धारकों की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है।

सावधि जमा खाताधारक अपनी जमा राशि रखने के समय जमा खाता बंद करने या परिपक्वता की तारीख को आगे की अवधि के लिए जमा के नवीकरण के संबंध में निर्देश दे सकते हैं। इस तरह के मैडेट के अभाव में, बैंक जमाकर्ताओं से निर्देश मांगेगा कि सावधि जमा की परिपक्वता तिथि के 15 दिन से पहले सूचना भेजकर जमा का निपटान किया जाए। किसी भी निर्देश के अभाव में जमाओं को एक ऑटो नवीकरण जमा के रूप में माना जाएगा और एक समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

जमाकर्ता के अनुरोध पर, शाखाएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा खाते को संचालित करने के लिए दिए गए मैडेट / पावर ऑफ अटॉर्नी को प्राधिकृत करते हुए पंजीकृत करेंगी।

सामान्य परिस्थिति में शाखाओं द्वारा खाता खोलने के नियम और शर्तों के अनुसार समय-समय पर बचत खाता जमाकर्ताओं को पासबुक एवं चालू खाता जमाकर्ताओं को खाता-विवरणी प्रदान किया जाएगा।

नकदी, चेक, ड्राफ्ट, लाभांश और ब्याज वारंट, बिल और अन्य परक्राम्य लिखत संग्रह के लिए स्वीकार किए जाते हैं और चालू खाता तथा बचत बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। जमाकर्ता द्वारा किए गए सभी जमा बैंक द्वारा निर्धारित पे-इन-स्लिप के साथ होंगे। काउंटर पर की गई जमाओं को शाखा / कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रसीद के एक अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर के तहत बैंक के 'प्राप्त' स्टांप के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। जमाकर्ता हेतु उपलब्ध कराए गए ड्रॉप-बॉक्स में परक्राम्य लिखत को जमा करने का विकल्प होता है, इस स्थिति में कोई पावती नहीं दी जाएगी। जमाकर्ता, यह सुनिश्चित करेंगे कि ड्रॉप-बॉक्स में डाला गया चेक यूको बैंक के पक्ष में क्रॉस किया गया है। ग्राहक काउंटर पर भी चेक जमा कर सकते हैं और पे-इन-स्लिप पर पावती प्राप्त कर सकते हैं।

जमा खाते को बैंक के एक शाखा से दूसरी शाखा में तब तक जमा किया जा सकता है जब तक कि योजना के नियमों के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो।

4.1 संयुक्त खाताधारकों के नाम को जोड़ना/हटाना एवं जमा का विभाजन ADDITION/DELETION OF NAMES OF JOINT ACCOUNT HOLDERS AND SPLITTING OF DEPOSIT

यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो शाखाएं सभी संयुक्त खाताधारकों के अनुरोध पर संयुक्त खाताधारक के नाम को जोड़ने / हटाने की अनुमति दे सकती हैं, या व्यक्तिगत जमाकर्ता को संयुक्त खाता धारक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति देती हैं।

मृतक जमाकर्ताओं या संयुक्त खाताधारकों के दावेदार के अनुरोध पर सावधि जमा की राशि के बंटवारे के मामले में, सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि जमा की अवधि और कुल राशि में कोई परिवर्तन न हो।

5. नामिती की सुविधा NOMINATION FACILITY:

- व्यक्तिगत / एकल और एकमात्र मालिक द्वारा खोले गए सभी जमा खाते नामिती की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिसमें उनके द्वारा नामित व्यक्ति वर्तमान में बचत बैंक और सावधि जमा खाते में मौजूद राशि जमाकर्ता (ओं) की मृत्यु के पश्चात बैंक से प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। एक खाते में एक ही नामिती (व्यक्ति) को जोड़ा जा सकता है। खाता परिचालन के दौरान ग्राहक किसी भी समय नामिती को जोड़ या हटा या बदल सकता है। संयुक्त खाते के मामले में नामिती को जोड़ना या हटाना या बदलना सभी खाताधारकों द्वारा संयुक्त रूप से किया

जाना चाहिए। अवयस्क खातों में भी नामिती की सुविधा प्रदान की गई है और ऐसे मामलों में; जमाकर्ता/ओं को एक एक अन्य व्यक्ति जो वयस्क हो को नियुक्त करना चाहिए जो अवयस्क के बदले में राशि प्राप्त कर सके।

- बैंक अनुशंसा करता है कि सभी जमाकर्ता नामिती की सुविधा का लाभ उठाएं। नामिती जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, खाते में बकाया राशि को कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करेगा।

जमाकर्ता को जमा खाता खोलते समय नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में बताया जाएगा। यदि ग्राहक नामिती हेतु माना करता है तो इस संबंध में उससे एक पत्र लिया जाना चाहिए।

जमाकर्ता का या अधिकार है कि वह नामिती का नाम पासबुक/मियादी जमा रसीद पर मुद्रित करवाए।

विभिन्न नामिती फॉर्म (बैंक डिपॉजिट, सेफ कस्टडी, सेफ्टी लॉकर्स) में खाता धारक के केवल अंगूठे के निशान को साक्ष्य के रूप में सत्यापित किया जाना चाहिए। विभिन्न नामांकन फॉर्म (बैंक डिपॉजिट, सेफ कस्टडी, सेफ्टी लॉकर्स) में खाता धारक के हस्ताक्षर को गवाह द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।

शाखाओं को व्यापक प्रचार करना चाहिए और खाताधारकों को नामिती की सुविधा और उत्तरजीवी खंड के लाभ पर जमा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इस संबंध में सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, शाखाएं अभी भी नामिती के बिना एकल जमा खाते खोलती हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, शाखाओं को आम तौर पर जोर देना चाहिए कि जमा खाता खोलने वाला व्यक्ति नामिती को शामिल करे। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामिती देने से मना करता है, तो शाखा को नामिती सुविधा के फायदे के बारे में बताना चाहिए। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति अभी भी नामिती की सुविधा नहीं लेना चाहता है, तो शाखा को उससे इस संबंध में एक विशिष्ट पत्र देने के लिए कहना चाहिए कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति इस तरह का पत्र देने से मना करता है, तो शाखा को खाता खोलने के फॉर्म पर इस तथ्य को दर्ज करना चाहिए और पात्र पाए जाने पर खाता खोलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, शाखा को केवल इस आधार पर खाता खोलने से मना नहीं करना चाहिए कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामिती देने से इनकार कर दिया।

नियम यह निर्धारित करते हैं कि नामिती केवल व्यक्तियों के पक्ष में किया जाएगा। जैसे, एक नामित व्यक्ति अपनी आधिकारिक क्षमता में एसोसिएशन, ट्रस्ट, सोसायटी या किसी अन्य संगठन या किसी भी पदाधिकारी के रूप में नहीं हो सकता है। इसके मद्देनजर किसी व्यक्ति के अलावा कोई भी नामांकन मान्य नहीं होगा।

संयुक्त जमा खाते के मामले में नामित व्यक्ति का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही होता है।

5.1 नामिती की पावती **ACKNOWLEDGEMENT OF NOMINATION**

बैंककारी कंपनी नामिती (नियम), 1985 के नियम 2(9), 3 (8) और 4 (9) के संदर्भ में, जमाकर्ता(ओं)/ लॉकर मालिक (ओं) को लिखित रूप में नामिती को जोड़ने/हटाने/बदलने हेतु विधिवत रूप से भरा हुआ प्रासंगिक फॉर्म को स्वीकार करना आवश्यक है।

शाखाओं को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनियों (नामांकन) नियमों, 1985 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए और नामांकन के विधिवत रूप, रसीद और / या भिन्नता की प्राप्ति को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह की पावती सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, भले ही वही मांग की गई हो या नहीं।

5.2 नामिती का पंजीकरण **REGISTERING THE NOMINATION**

बैंकिंग कंपनियों (नामिती) नियम, 1985 के नियम 2 (10), 3 (9) और 4 (10) के नियमों के अनुसार, बैंकों को अपने यहां नामिती से संबंधित नामिती को जोड़ना/हटाना और / या बदलन दर्ज करना आवश्यक है। शाखाओं को तदनुसार नामिती जोड़ने या उसमें बदलाव करने की कार्रवाई करनी चाहिए, यदि जमाकर्ता (ओं) / अवक्रेता द्वारा कोई किया गया हो।

पास बुक, जमा रसीद आदि में किंवदंती "पंजीकृत नामिती " शामिल करना और पास बुक / फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों में नामित व्यक्ति का नाम दर्शाना:

जब एक बैंक खाता धारक नामिती की सुविधा लेता है तो इसे पासबुक पर इंगित किया जाना चाहिए, ताकि खाताधारक की मृत्यु के पश्चात, उसके परिजन पासबुक से यह जान सकें कि मृतक जमाकर्ता द्वारा नामिती की सुविधा का लाभ उठाया गया है और वह उचित कार्रवाई कर सके। इसलिए, बैंक, "नॉमिनेटेड रजिस्टर्ड" किंवदंती के साथ नामांकन की सुविधा का लाभ उठाने के बारे में पासबुक के सामने रिकॉर्डिंग की प्रथा शुरू कर सकते हैं। यह सावधि जमा प्राप्तियों के मामले में भी किया जा सकता है।

इसके अलावा, यह सलाह दी जाती है कि किंवदंती "नामांकन पंजीकृत" के अलावा, उन्हें पास बुक्स / खातों / एफडीआर के विवरण में नामांकित व्यक्ति के नाम का भी संकेत देना चाहिए, यदि ग्राहक उसी के लिए सहमत है।

5.3 बचत खाता एवं पेंशन खाता में अलग-अलग नामिती **SEPARATE NOMINATION FOR SAVINGS BANK ACCOUNT AND PENSION ACCOUNT**

पेंशन ऋण के लिए खोले गए बचत बैंक खाते के लिए नामिती की सुविधा उपलब्ध है। बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 पेंशन के बकाया (नामांकन) नियम, 1983 से अलग हैं और पेंशन के बकाया की प्राप्ति के लिए बाद के नियमों के तहत पेंशनर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नामांकन, जमा खातों के प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगा। जिन पेंशनभोगियों ने नामांकन सुविधा का लाभ लेने की इच्छा जताई है, उनके लिए बैंकिंग कंपनियों (नामांकन) नियमों, 1985 के संदर्भ में बैंकों के साथ एक अलग नामांकन आवश्यक है।

5.4 सेफ डिपोजिट लॉकर्स / सेफ कस्टडी आर्टिकल्स में नामिती **NOMINATION IN SAFE DEPOSIT LOCKERS / SAFE CUSTODY ARTICLES**

- नामिती की सुविधा केवल व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के मामले में ही उपलब्ध है, न कि संयुक्त रूप से सुरक्षित अभिरक्षा के लिए लेख जमा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ZE एक अवयस्क को एक लॉकर की सामग्री के वितरण के लिए नामिती होने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, ऐसे मामलों में बैंकों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि जब अवयस्क नामिती की ओर से एक लॉकर की सामग्री को हटाने की मांग की गई थी, तो सामग्री को एक व्यक्ति को सौंप दिया गया था, जो कानूनन अवयस्क की ओर से सामग्री प्राप्त करने के लिए सक्षम था।
- जैसा कि संयुक्त रूप से काम पर रखे गए लॉकरों में से किसी एक की मृत्यु पर, लॉकरों की सामग्री को केवल नामितियों और बचे लोगों द्वारा संयुक्त रूप से हटाने की अनुमति दी जाती है, जब एक सूची को निर्धारित तरीके से लिया गया था। ऐसे मामले में, एक इन्वेंट्री द्वारा पूर्व में निकाले जाने के बाद, नामित और जीवित रहने वाले (ओं) अभी भी एक ही बैंक के साथ पूरी सामग्री रख सकते हैं, यदि वे चाहें, तो एक लॉकर को काम पर रखने के एक नए अनुबंध में प्रवेश करके।

5.5 ग्राहक मार्गदर्शन एवं प्रचार – ग्राहकों को नामिती /उत्तरजीता खंड के लाभ के बारे में बताना **Customer Guidance and Publicity- Educating Customers on the Benefits of nomination / survivorship clause**

- नामिती सुविधा का उद्देश्य मृतक जमाकर्ताओं के खातों में दावों के त्वरित निपटान की सुविधा और जमाकर्ताओं की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को हुई कठिनाई को कम करना है। बैंकों को नामिती सुविधाओं के लाभ के बारे में लिए अपने घटकों को बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके घटकों के बीच नामिती सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करके संदेश सभी घटकों तक पहुंच जाए।
- नामिती की सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए, प्रचार पुस्तिकाओं को लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें चेक बुक, पास-बुक पर संगत संदेश और ग्राहकों तक पहुँचने के साथ-साथ समय-समय पर अभियान शुरू करना शामिल है। नामिती सुविधा की उपलब्धता का संकेत देने वाली छोटी पर्ची चेकबुक और पासबुक और चालू खाता विवरणों में डाली जा सकती है। पर्ची का एक नमूना प्रारूप नीचे दिया गया है: -

नामिती सुविधा उपलब्ध है Nomination facility available for-

1) जमा

2) सुरक्षित जमा वाल्ट

कृपया इसका उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए शाखा से संपर्क करें।

6. बुनियादी बचत जमा खाता (बीएसबीडीए) **BASIC SAVINGS BANK DEPOSIT ACCOUNT (BSBDA)**

निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाओं वाले सभी ग्राहकों को 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' प्रदान किया जाता है:

- 'बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' सभी के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा मानी जाती है।
- इस खाते में किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है।
- खाते में उपलब्ध सेवाओं में बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम में नकदी की जमा और निकासी; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के माध्यम से या केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा जमा किए गए चेक के जमा / संग्रह के माध्यम से धन की प्राप्ति / क्रेडिट शामिल होगी।
- जबकि एक महीने में किए जाने वाले डिपॉजिट की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी, खाताधारकों को एक महीने में कुल 8 निकासी की अनुमति होगी, जिसमें 4 निकासी एटीएम की सीमा के साथ और शाखा में 4 कैश निकासी की सीमा के साथ होगी।

- एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा
- उपर्युक्त सुविधाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, इन-ऑपरेटिव 'बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट' के संचालन / सक्रियण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- बैंक उचित और पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए मूल्य संरचना सहित अन्य आवश्यकताओं को विकसित करने के लिए स्वतंत्र है और एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया है।
- 'बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट' समय-समय पर जारी बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) / धन-शोधन निवारण (एएमएल) पर आरबीआई के निर्देशों के अधीन होगा। यदि इस तरह के खाते को सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के आधार पर खोला जाता है, तो खाते को 'लघु खाता' माना जाएगा। लघु खाता का मतलब होता है जहां बचत खाता (क) एक वित्तीय वर्ष में सभी जमाओं का कुल योग रु 1,00,000 / - से अधिक नहीं होता है (ख) एक माह में सभी निकासी और अंतरणों का कुल मूल्य रु 10,000 / - से अधिक नहीं है और (ग) किसी भी समय शेष राशि रु 50,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' के धारक बैंक में किसी अन्य बचत बैंक जमा खाते को खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि किसी ग्राहक के पास बैंक में कोई अन्य मौजूदा बचत बैंक जमा खाता है, तो उसे 'मूल बचत बैंक जमा खाता' खोलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे बंद करना होगा।

7. ब्याज का भुगतान INTEREST PAYMENTS

आरबीआई द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाएँ समय-समय बैंक द्वारा निर्धारित दर पर बचत बैंक जमा और सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान करेंगी। मियादी जमा ब्याज की गणना मासिक ब्याज भुगतान योजना के मामले में त्रैमासिक या अधिक समय तक की जाती है, जहां छूट मूल्य पर मासिक ब्याज दिया जाता है। मियादी जमा पर मिलने वाले ब्याज की गणना भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाए गए फॉर्मूलों और उपायों के अनुसार की जाती है।

1. बचत बैंक जमा के मामले में, ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर RBI के मानदंडों के अनुसार की जाएगी और तिमाही आधार पर खाते में जमा की जाएगी।
2. इस सीमा के भीतर खाते में राशि के एक लाख रुपए तक की शेष राशि पर एक समान ब्याज दर निर्धारित की जाएगी।
3. किसी भी दिन के बचत बैंक शेष के लिए रु। एक लाख से अधिक की ब्याज दरें प्रदान की जा सकती हैं।
 - टर्म डिपॉजिट के मामले में, 3 महीने से कम की अवधि के लिए ब्याज या जहां टर्मिनल क्वार्टर अधूरा है, को 365 दिनों के रूप में वर्ष की वास्तविक दिनों की गणना के लिए आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा।
 - यदि एक एफडीआर परिपक्व होती है और आय अवैतनिक होती है, तो शाखा के साथ लावारिस छोड़ी गई राशि बचत बैंक की ब्याज दर को आकर्षित करेगी।
 - जमा पर ब्याज की दर शाखा परिसर / बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। जमा दरों में कोई परिवर्तन भी शाखा परिसर में प्रमुखता से दिखाया जाएगा।
 - यदि मियादी जमा की परिपक्वता तिथि, रविवार, गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस की छुट्टी पर होती है, तो मूल रूप से अनुबंधित दर पर इस तरह के हस्तक्षेप वाले दिन के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा जो कि सफल होने वाले दिन तक है।
 - शाखाओं को आयकर के नियमों के अनुसार / जमा पर अर्जित ब्याज पर स्रोत पर आयकर में कटौती करने की आवश्यकता होती है और प्रासंगिक समय पर लागू होती है। निर्धारित प्रारूप में काटे गए आयकर का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जमाकर्ता, अगर टीडीएस से छूट का हकदार है, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निर्धारित प्रारूप 15 जी (सामान्य जमाकर्ता के लिए) या 15 एच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। जमाकर्ता 15जी/15एच ओर्म के साथ पैन प्रस्तुत करेंगे। पैन प्रस्तुत करने में असफल रहने पर आयकर विभाग द्वारा निर्धारित दर पर टीडीएस की कटौती होगी। मियादी जमा खाता खोलते समय ग्राहक को आईटी एक्ट का प्रावधान समझाया जाएगा।

फॉर्म 15-जी / 15-एच - ग्राहकों को पावती Form 15-G / 15-H - Acknowledgement to Customers

आयकर नियमों, 1962 के तहत फॉर्म 15-जी / 15-एच में घोषणा पत्र जमा करने वालों से टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह देखा गया है कि ग्राहकों द्वारा फॉर्म 15-जी / 15-एच जमा करने के बावजूद, शाखाएं कई बार टीडीएस काट रही हैं, जिससे ग्राहकों को असुविधा होती है और जिसके कारण शिकायतें होती हैं। इस तरह के उदाहरण उत्पन्न होते हैं क्योंकि या तो फॉर्म गलत होते हैं या शाखाओं में प्राप्त प्रपत्रों का ट्रैक नहीं रखा जाता है। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए, फॉर्म 15-जी / 15-एच की प्राप्ति के समय ग्राहकों को एक पावती देने के लिए शाखाएं। इससे जवाबदेही की एक प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी और शाखाओं की ओर से किसी भी चूक के कारण ग्राहकों को असुविधा नहीं होगी।

7.1 शाखाओं द्वारा निष्क्रिय खातों पर ब्याज का भुगतान PAYMENT OF INTEREST ON ACCOUNTS FROZEN BY BRANCHES

प्रवर्तन अधिकारियों के आदेशों के आधार पर ग्राहकों के खातों को फ्रीज करने के लिए कई बार शाखाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

- परिपक्वता पर ग्राहक से अनुरोध पत्र प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरण के लिए जमाकर्ता से अनुरोध पत्र प्राप्त करते समय, शाखाओं को उसे उस पद को इंगित करने के लिए भी सलाह देना चाहिए जिसके लिए जमा को नवीकृत किया जाना है। यदि जमाकर्ता नवीकरण के लिए शब्द चुनने के अपने विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो शाखाएं मूल शब्द के बराबर अवधि के लिए उसी को नवीनीकृत कर सकती हैं।
- कोई नई रसीद जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जमा खाते में नवीनीकरण के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी की जा सकती है।
- डिपॉजिट के लिए सलाह के तहत संबंधित सरकारी विभाग को पंजीकृत पत्र / स्पीड पोस्ट / कूरियर सेवा द्वारा जमा की नवीकरण की सलाह दी जा सकती है। जमाकर्ता को सलाह में, जिस ब्याज पर जमा का नवीनीकरण होता है, उसकी दर का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- यदि अनुरोध पत्र प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन से अधिक नहीं होता है, तो परिपक्वता की तारीख से नवीनीकरण किया जा सकता है। यदि यह 14 दिन से अधिक हो जाता है, तो शाखाएं पॉलिसी के अनुसार अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान कर सकती हैं, और इसे एक अलग ब्याज मुक्त उप-खाते में रख सकती हैं जो मूल सावधि जमा जारी होने पर जारी किया जाना चाहिए। इस उप-खाते को भी जमे हुए स्थिति में रखा जाना चाहिए।
- प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निष्क्रिय किए गए खातों सहित बचत बैंक खातों पर ब्याज, खाते की परिचालन स्थिति के बावजूद नियमित आधार पर जमा किया जाएगा।

7.2 घरेलू जमा पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान PAYMENT OF ADDITIONAL INTEREST ON DOMESTIC DEPOSITS -

(A) बचत या बैंक के कर्मचारियों और उनके अनन्य संघों के साथ-साथ प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यकारी निदेशक या जमाकर्ताओं की जमा राशियों पर ब्याज दरों की अनुसूची में उल्लिखित ब्याज की दर से एक प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज इस तरह के अन्य कार्यकारी अधिकारियों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

i) अतिरिक्त ब्याज तब तक देय होता है जब तक कि व्यक्ति उसी के लिए पात्र नहीं रहता है और जब तक कि सावधि जमा खाते की परिपक्वता तक उसकी पात्रता इतनी योग्य नहीं हो जाती है।

* प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यकारी निदेशक बचत या सावधि जमा पर ब्याज दरों की अनुसूची में उल्लिखित ब्याज की दर से 1% प्रति वर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए हकदार हैं, बैंक में उनके निश्चित कार्यकाल के बाद भी।

ii) समामेलन की योजना के अनुसार काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में, अतिरिक्त ब्याज की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब अतिरिक्त ब्याज के साथ एक साथ संविदात्मक दर पर ब्याज दर से अधिक न हो, जो मूल कर्मचारियों द्वारा मूल रूप से नियोजित किए जाने पर अनुमति दी जा सकती थी। बैंक।

iii) दूसरे बैंक से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कर्मचारियों के मामले में, जिस बैंक से उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है, वह प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसके साथ खोले गए बचत या सावधि जमा खाते के संबंध में अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकता है।

iv) एक निश्चित कार्यकाल के लिए या एक निश्चित कार्यकाल के अनुबंध पर प्रतिनियुक्ति पर लिए गए व्यक्तियों के मामले में, लाभ प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि की समाप्ति पर अर्जित करना बंद कर देगा, जैसा कि मामला हो सकता है।

v) बैंक कर्मचारी फेडरेशन, जिसमें बैंक कर्मचारी प्रत्यक्ष सदस्य नहीं हैं, अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे।

vi) अतिरिक्त जमा का भुगतान संबंधित जमाकर्ता से एक घोषणा प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित जमाओं पर किया जा सकता है, कि जमा किए गए पैसे या जो समय-समय पर ऐसे खाते में जमा किए जा सकते हैं, जमाकर्ता के हैं: - अतिरिक्त जमा का भुगतान संबंधित जमाकर्ता से एक घोषणा प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित जमाओं पर किया जा सकता है, कि जमा किए गए पैसे या जो समय-समय पर ऐसे खाते में जमा किए जा सकते हैं, जमाकर्ता के हैं: -

- बैंक के कर्मचारियों का सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य, या तो अकेले या उसके परिवार के किसी भी सदस्य या सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से; या
- मृतक सदस्य या बैंक के कर्मचारियों के मृतक सेवानिवृत्त सदस्य का पति; तथा
- एक संघ या एक कोष, जिसके सदस्य बैंक के कर्मचारियों के सदस्य होते हैं।

B) बैंक किसी भी आकार के सामान्य जमा की तुलना में निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को उच्च और निश्चित ब्याज दर प्रदान करेगा। बशर्ते कि यह सुविधा एक एचयूएफ या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के कर्ता के नाम पर जमा शब्द पर नहीं दी जाती है, भले ही कर्ता एक भारतीय नागरिक हो।

C) बैंक अपने निवासी भारतीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वीकार्य अतिरिक्त ब्याज दरों का लाभ और उनके ऊपर देय अतिरिक्त ब्याज का लाभ बैंकों के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त सदस्यों द्वारा दिया जाएगा।

8. निष्क्रिय / डौरमैट खाते INOPERATIVE / DORMANT ACCOUNTS

जिन खातों को दो साल से अधिक समय तक संचालित नहीं किया जाता है, उन्हें बैंक के साथ ही जमाकर्ता के हित में एक अलग निष्क्रिय / निष्क्रिय खाता स्थिति में स्थानांतरित किया जाएगा। जमाकर्ता को उसके खाते को 3 महीने पहले लिखित रूप में सूचित किया जाएगा / उसके खाते को निष्क्रिय / निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जमाकर्ता बैंक से इसे संचालित करने के लिए खाते को सक्रिय करने का अनुरोध कर सकता है।

जमाकर्ताओं के मामले में जिनका ठिकाना पता लगाने योग्य नहीं है, शाखाओं को धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए और बैंक के साथ-साथ जमाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए इस तरह के खाते को अलग करना चाहिए। पहचान, हस्ताक्षर और लेनदेन इत्यादि की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के खाते में संचालन की अनुमति दी जा सकती है। बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि का बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षक / सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सही तरीके से ऑडिट किया जाए।

9. अवयस्क खाते MINORS' ACCOUNTS

संरक्षकता के तहत अवयस्क के नाम से बचत बैंक खाता केवल अवयस्क के लाभ के लिए अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा। हालाँकि, 10 वर्ष की आयु पूरी करने पर एक नाबालिग और जो पढ़ने और लिखने में सक्षम है, उसे अभिभावक के संदर्भ के बिना खाता संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि खाता खोलने के समय अभिभावक से एक उपक्रम प्राप्त किया जाए, जिसमें कहा गया हो कि खाता केवल बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर नाबालिगों द्वारा उनके एकमात्र जोखिम और जिम्मेदारी पर संचालित किया जाएगा।

प्रमुख स्थिति प्राप्त करने पर, पूर्ववर्ती नाबालिग को अपने खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाता प्राकृतिक संरक्षक / अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है, तो प्राकृतिक अभिभावक द्वारा सत्यापित पूर्ववर्ती नाबालिग के ताजा नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे और उन्हें चालू रखा जाएगा। सभी परिचालन उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड।

10. दृष्टिबाधित व्यक्तियों के खाते ACCOUNT OF VISUALLY IMPAIRED PERSONS

बैंक खाता खोलने के मामले में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ या तो अकेले / संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है, जिसे वह विश्वसनीय मानता है और जो अनुबंध के लिए सक्षम हो सकता है और दृष्टिहीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हालांकि, ऐसे खातों में संचालन का तरीका "पूर्व या उत्तरजीवी" होगा और दृष्टिहीन व्यक्ति 1 नामित खाताधारक होगा। शाखा द्वारा ज्ञात गवाह की उपस्थिति में शाखा द्वारा व्यवसाय के नियमों, नियमों और शर्तों को पढ़ना होता है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को नकद भुगतान एक ऐसे गवाह की उपस्थिति में किया जाना चाहिए जो कैशियर के अलावा शाखा और शाखा के किसी अन्य अधिकारी को जानता हो। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को नकद भुगतान एक ऐसे गवाह की उपस्थिति में किया जाना चाहिए जो कैशियर के अलावा शाखा और शाखा के किसी अन्य अधिकारी को जानता हो।

शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चेक बुक सुविधा जैसे कि थर्ड पार्टी चेक, एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा आदि सभी दृष्टिगत रूप से किसी भी भेदभाव के बिना चुनौती दी गई हैं, क्योंकि वे अनुबंध के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं।

विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए नेत्रहीनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए शाखाएँ।

उपर्युक्त के अलावा, कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए सभी बैंक शाखाओं द्वारा आवर्धक चश्मा भी प्रदान किया जाना चाहिए, जहाँ भी उन्हें आसानी से बैंकिंग लेनदेन करने की आवश्यकता होती है। विकलांगों के लिए उपलब्ध आवर्धक चश्मे की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं के बारे में शाखाओं को एक प्रमुख स्थान सूचना पर प्रदर्शित करना चाहिए।

11. बूढ़े/अक्षम व्यक्तियों के बचत खाते SAVINGS BANK ACCOUNT OF OLD / INCAPACITATED PERSONS

अपने बैंक खातों को संचालित करने के लिए पुराने / बीमार / अक्षम खाताधारकों को सक्षम करने की दृष्टि से, शाखाएं विचाराधीन प्रक्रिया का पालन कर सकती हैं।

- चेक / निकासी पर्ची पर ऐसे ग्राहकों के अंगूठे या पैर के अंगूठे का निशान प्राप्त होता है, जिसकी पहचान बैंक को ज्ञात दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें से एक को शाखा का अधिकारी होना चाहिए।
- जब भी ग्राहक अपने अंगूठे का निशान नहीं लगा सकता है, अंगूठे के निशान के बदले पैर के अंगूठे का निशान लिया जा सकता है।
- ग्राहक को उस शाखा को इंगित करने के लिए भी कहा जाना चाहिए, जो अपनी ओर से शाखा से राशि वापस लेगा और उसे उस संबंध में प्राधिकरण का एक पत्र प्रदान करना चाहिए, जिसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा भी देखा जाना चाहिए। किसकी शाखा का अधिकारी होना चाहिए।
- इस तरह के अधिकृत प्रतिनिधि को इस संबंध में अपनी पावती के साथ राशि प्राप्त करने के लिए चेक / निकासी पर्ची के रिवर्स पर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
- इस संबंध में प्राप्त / जमा किया गया कोई भी मेडिकल प्रमाण पत्र अतिरिक्त साक्ष्य होगा, लेकिन ऊपर बताए गए प्रक्रिया का विकल्प नहीं।

12. स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक रोगी एवं विभिन्न अक्षमता वाले व्यक्तियों के खाते ACCOUNT OF PERSONS WITH AUTISM, CEREBRAL PALSY, MENTAL RETARDATION & MULTIPLE DISABILITIES:-

बचत बैंक, और सावधि जमा खाते आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और कई विकलांग लोगों के नाम से खोले जा सकते हैं, जिन्हें जिला स्वास्थ्य न्यायालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत या स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक द्वारा निर्धारित किया जाता है। विकलांगता अधिनियम, 1999 के तहत आत्मकेंद्रित, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और कई विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट। कानूनी अभिभावक, इसलिए नियुक्त किया जाता है, स्थानीयता कानून के अनुसार एक क्षतिपूर्ति सह उपक्रम बॉन्ड को विधिवत प्रमाणपत्र के साथ लागू करेगा।

13. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खाते ACCOUNTS OF TRANSGENDER PERSONS:-

ट्रांसजेंडर होने का दावा करने वाले व्यक्ति और खाता खोलने या किसी भी बैंकिंग लेनदेन करने की आवश्यकता होने की स्थिति में, व्यक्ति को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता दी जाएगी और विवरण एओएफएस या अन्य लागू रूपों में स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का उपनाम "Mx" होगा। सभी ट्रांसजेंडर ग्राहकों को बिना किसी भेदभाव के अन्य पुरुष / महिला ग्राहकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

14. दृष्टिबधित व्यक्तियों सहित वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को बैंकिंग सेवा आसान करना : द्वार पर बैंकिंग EASE IN BANKING FACILITY FOR SENIOR CITIZENS AND DIFFERENTLY ABLED PERSONS INCLUDING THOSE WHO ARE VISUALLY IMPAIRED: DOOR STEP BANKING:-

70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और अलग-अलग विकलांग या दुर्बल व्यक्तियों (चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित पुरानी बीमारी या विकलांगता) सहित उन कठिनाइयों के मद्देनजर, जिनमें नेत्रहीन लोग शामिल हैं, शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करें। 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और अलग-अलग विकलांग या दुर्बल व्यक्तियों (चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित पुरानी बीमारी या विकलांगता) सहित उन कठिनाइयों के मद्देनजर, जिनमें नेत्रहीन लोग शामिल हैं, शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करें।

डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं हमारे स्टाफ और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स (बीसी) से केवल वरिष्ठ नागरिकों और मेट्रो और शहरी केंद्रों की शाखाओं में अलग-अलग तरह से रहने वाले व्यक्तियों (10 से अधिक स्टाफ की क्षमता वाले) और बीसी से जुड़ी शाखाओं से प्रदान की जाती हैं।

बैंक डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा निम्नलिखित बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा

- रसीद के बदले में नकद प्राप्त करना - अधिकतम सीमा रु. 10000 / -
- रसीद के बदले लिखत प्राप्त करना -
- आहरण फॉर्म /चेक के बदले में नकद पहुंचाना – अधिकतम सीमा रु. 10000/- एवं न्यूनतम रु. 2500/-
- चेक बुक की डिलिवरी करना – एक बार में एक चेक बुक .
- मांग ड्राफ्ट की डिलिवरी
- अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दस्तावेज जमा करना
- जीवन प्रमाण-पत्र

शाखा में 2.00 बजे तक पंजीकृत ई-मेल / टेलीफोन / अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक से प्राप्त डोर स्टेप बैंकिंग अनुरोध के लिए, बैंक शाखा 4 घंटे के भीतर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगी और 2.00 बजे के बाद प्राप्त अनुरोध अगले कार्यदिवस में प्रदान किया जाएगा।

जैसा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और अलग-अलग विकलांग या दुर्बल व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवा एक महान सेवा है, एक महीने में अधिकतम '2' लेन-देन के लिए कोई सेवा शुल्क लगाए बिना समान प्रदान करने के लिए और बाद में 100 / रु। - ग्राहक से वसूला जाने वाला जीएसटी।

15. अशिक्षित व्यक्ति के खाते ACCOUNT OF ILLITERATE PERSON

शाखाएं अनपढ़ व्यक्तियों को बचत बैंक और सावधि जमा खाता खोलने की अनुमति देती हैं और इस उद्देश्य के लिए खाता खोलने के फॉर्म पर फोटो के साथ उनके अंगूठे की छाप प्राप्त होती है। चालू खाते को छोड़कर सभी प्रकार के खाते अनपढ़ व्यक्ति के नाम से खोले जा सकते हैं।

खाता खोलने और उसके संचालन के बारे में बैंक के नियम और बैंक खाता खोलने के फॉर्म की सामग्री को खाता खोलने के समय जमाकर्ता को समझाया जाएगा। इस तरह के भावी खाताधारक से एक घोषणा प्राप्त की जाएगी, जिसमें एक गवाह, शाखा को स्वीकार्य होगा, जो यह बताता है कि खाता खोलने वाले फॉर्म और खाता नियमों की सामग्री को जमाकर्ता (ओं) को ज्ञात भाषा में अनुवादित किया गया है और है उसे समझाया गया और उसे / उसके द्वारा पूरी तरह से समझा गया। ऐसे बचत खाते के लिए कोई चेक बुक सुविधा नहीं दी गई है और शाखा खाताधारक को पासबुक आदि की उचित देखभाल और सुरक्षित रखने की आवश्यकता बताएगी।

16. ग्राहक सूचना CUSTOMER INFORMATION

खाता खोलने के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली वैकल्पिक जानकारी का उपयोग बैंक, उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों द्वारा बैंक की सेवाओं या उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न हो।

16.1 क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य हेतु ग्राहकों से जानकारी एकत्र करना COLLECTING INFORMATION FROM CUSTOMERS FOR CROSS-SELLING PURPOSES

ग्राहकों के खाते खोलने के समय, शाखाएं कुछ अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी सहित कुछ जानकारी एकत्र करती हैं।

इस संबंध में, लोक सेवाओं पर प्रक्रिया और प्रदर्शन लेखा परीक्षा समिति (CPPAPS) ने पाया कि ग्राहक से एकत्रित जानकारी का उपयोग विभिन्न उत्पादों की सेवाओं की बिक्री और सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के उत्पादों के लिए भी किया जा रहा है। कभी-कभी, ऐसी जानकारी अन्य एजेंसियों को भी प्रदान की जाती थी। जैसा कि शाखाएं जानते हैं, खाता खोलते समय केवाईसी अनुपालन के लिए ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय होती है, जिसमें क्रॉस सेलिंग के लिए किसी भी विवरण को विभाजित करना या शाखा / बैंक द्वारा प्राधिकृत के अलावा अन्य बाहरी एजेंसियों को कोई अन्य उद्देश्य, ग्राहक गोपनीय दायित्वों के उल्लंघन में होगा। खाता खोलने के उद्देश्य से ग्राहक से एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय माना जाना चाहिए और उसके किसी भी विवरण को क्रॉस सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ग्राहक से मांगी गई जानकारी कथित जोखिम के लिए प्रासंगिक है, घुसपैठ नहीं है और इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

केवाईसी आवश्यकताओं के अलावा एक उद्देश्य के लिए ग्राहक के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र करने के लिए वांछित है, लेकिन यह खाता खोलने के फॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर इस तरह की जानकारी एकत्र की जा सकती है, ग्राहक को उद्देश्यों की व्याख्या करने और विशिष्ट उपयोगों के लिए अपनी व्यक्त स्वीकृति लेने के बाद जिसमें ऐसी जानकारी डाली जा सकती है। शाखाओं को कड़ाई से इस संबंध में ग्राहक के प्रति अपने दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

17. ग्राहक के खातों की गोपनीयता SECRECY OF CUSTOMER'S ACCOUNTS

गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बैंकों का दायित्व बैंक और ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंध से उत्पन्न होता है, और इस तरह की सूचनाओं को किसी भी परिस्थिति में तीसरे पक्ष को नहीं छोड़ना चाहिए, जिन परिस्थितियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया हो। उक्त नियम के निम्नलिखित अपवाद सामान्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं:

- जहां प्रकटीकरण कानून की बाध्यता के तहत होता है यानी जब आयकर अधिकारियों द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा, वैधानिक दायित्वों के तहत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय कस्टम अधिकारियों द्वारा, आदि द्वारा कानून के सक्षम न्यायालय द्वारा आह्वान किया जाता है।
- जहां प्रकटीकरण जनता का कर्तव्य है
- जहां बैंक के हित में प्रकटीकरण और
- जहां प्रकटीकरण ग्राहक की व्यक्त या निहित सहमति से किया जाता है।

18. अंतः-बैंक जमा खातों का अंतरण INTRA-BANK DEPOSIT ACCOUNTS PORTABILITY

बैंक की एक शाखा द्वारा एक बार किया गया केवाईसी तब तक बैंक के भीतर खाते के हस्तांतरण के लिए मान्य होगा जब तक संबंधित खाते के लिए पूर्ण केवाईसी किया गया हो। ग्राहक को पते के नए प्रमाण पर जोर दिए बिना एक खाता से दूसरी

शाखा में अपना खाता स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और खाताधारक से अपने वर्तमान पते के बारे में एक स्व-घोषणा के आधार पर, पते के प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन छह महीने की अवधि।

19. मियादी जमा में परिचालन OPERATIONS IN TERM DEPOSIT:

19.1 मियादी जमा का परिपक्वता पूर्व आहरण PREMATURE WITHDRAWAL OF TERM DEPOSIT

जमाकर्ता के अनुरोध पर शाखाएं, अपने विवेक पर, जमा रखने की अवधि के पूरा होने से पहले सावधि जमा को वापस लेने की अनुमति दे सकती हैं। बैंक, समय-समय पर, सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए देय दंड दर के संबंध में अलग-अलग निर्देश जारी करता है। बैंक जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ लागू दर से अवगत कराएगा। अतिदेय के समय से पहले निकासी (फौजदारी) के मामले में, अतिदेय अवधि के लिए बचत दर की अधिकता में भुगतान की गई सावधि जमा ब्याज खाते को बंद करने के समय बरामद किया जाएगा। परिपक्वता से पहले भुगतान के लिए सभी संयुक्त खाताधारकों को सावधि जमा का निर्वहन करना होता है।

19.2 मियादी जमा का परिपक्वता पूर्व नवीकरण PREMATURE RENEWAL OF TERM DEPOSIT

यदि जमाकर्ता किसी मौजूदा सावधि जमा खाते को समय से पहले बंद करके जमा को नवीनीकृत करने की इच्छा रखता है, तो शाखाएं नवीनीकरण की तारीख को लागू दर पर नवीनीकरण की अनुमति देंगी, बशर्ते जमा अवधि शेष राशि के बराबर या उससे अधिक अवधि के लिए नवीनीकृत हो। मूल जमा की अवधि। समय-समय पर नवीकरण सह विस्तार के उद्देश्य से जमा को बंद करते समय, बैंक के पास इस अवधि के लिए जमा पर ब्याज, उस अवधि के लिए लागू दर पर भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए जमा बैंक के साथ बने रहे और अनुबंधित दर पर नहीं

19.3 अतिदेय मियादी जमा का नवीकरण RENEWAL OF OVERDUE TERM DEPOSITS

जब एक सावधि जमा परिपक्वता पर नवीनीकृत की जाती है, तो परिपक्वता की तारीख पर लागू जमाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट नवीकरण अवधि के लिए ब्याज दर लागू होगी। यदि परिपक्वता की तारीख के बाद नवीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, तो इस तरह के अतिदेय जमा को देय तिथि पर लागू ब्याज दर पर परिपक्वता की तारीख से प्रभावी रूप से नवीनीकृत किया जाएगा, बशर्ते परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के भीतर ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है। परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के बाद नवीनीकृत की गई अतिदेय जमा के संबंध में, जमाकर्ता द्वारा अनुरोध की तिथि से सावधि जमा का नवीनीकरण किया जाएगा और बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई दरों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

यह निर्णय लिया जाता है कि असाधारण मामलों में जहां एक सावधि जमा दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है, और ग्राहक इसे अधिक अवधि के लिए या उससे अधिक अवधि के लिए नवीनीकृत करने की इच्छा रखते हैं, शाखा इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करेगी और एफडीआर को नवीनीकृत करेगी। दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। अतिदेय अवधि के लिए ऐसे एफडीआर पर देय ब्याज की दर परिपक्वता की तारीख पर या नवीकरण की तारीख से कम के रूप में उच्चतम समय बाल्टी के लिए ब्याज की दर होगी। नवीकरण की अवधि के लिए ब्याज की दर नवीकरण की तारीख पर शासन के रूप में उच्चतम समय बाल्टी के लिए ब्याज की दर होगी। इस तरह के नए अतिदेय एफडीआर के समय से पहले बंद होने का प्रावधान इस नीति के अन्य प्रासंगिक प्रमुखों के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार होगा।

19.4 नियत तारीख पर मियादी जमा का स्वतः नवीकरण AUTOMATIC RENEWAL OF TERM DEPOSIT ON DUE DATE

जब तक इसके विपरीत विशिष्ट निर्देश नहीं हैं, तब तक सावधि जमाओं को उसी अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि परिपक्व अवधि के जमा के लिए था और ब्याज की दर नियत तारीख पर प्रचलित होगी। स्वचालित नवीनीकरण के तहत नवीनीकृत की गई टर्म डिपॉजिट रसीद ग्राहक को मूल सावधि जमा जमा करने पर दी जाएगी।

19.5 जमा के बदले में अग्रिम ADVANCES AGAINST DEPOSITS

शाखाएं आवश्यक सुरक्षा दस्तावेजों के निष्पादन पर जमाकर्ता / द्वारा दी गई सावधि जमाओं के विरुद्ध ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए जमाकर्ता के अनुरोध पर विचार कर सकती हैं। शाखाएं नाबालिग के नाम पर जमा राशि के विरुद्ध ऋण पर विचार कर सकती हैं, हालांकि, एक उपयुक्त घोषणा यह कहती है कि ऋण नाबालिग के लाभ के लिए जमाकर्ता / अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। जमा के बदले में अग्रिम देने से पहले केवाईसी अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए।

19.6 मियादी जमा रसीद जारी करना ISSUE OF TERM DEPOSIT RECEIPT :

शाखाएं पूर्ण जमा विवरण, जैसे कि जारी करने की तारीख, जमा करने की अवधि, नियत तारीख, ब्याज की दर, आदि का संकेत देती हैं।

डुप्लीकेट सावधि जमा रसीद जारी करने हेतु सावधानियाँ PRECAUTIONS FOR ISSUING OF DUPLICATE FIXED DEPOSIT RECEIPT :

- यदि मूल एफडीआर गलत है / खो गया है, तो डुप्लिकेट तत्संबंधी एक्सप्रेस इंडोर्समेंट के साथ जारी किया जाएगा, जिसे मूल एफडीआर (संख्या / खाता निर्दिष्ट करें) के बदले में जारी किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक लेज़र सहित संबंधित खाते के लेसर में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री की जाएगी।
- डुप्लिकेट एफडीआर जारी करने के समय, जमा धारकों को क्षतिपूर्ति बॉन्ड (ओं) को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें संबंधित राज्य कानूनों के तहत उचित रूप से मुहर लगाया जाना चाहिए। स्टॉप ड्यूटी संबंधित जमाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
- बैंक खोई हुई एफडीआर के प्रति सावधानी बरतने के लिए सभी शाखाओं को आवश्यक परिपत्र जारी करेगा।
- जहां मूल सावधि जमा रसीद, जो कि खो जाने / गलत बताई गई है, को एक से अधिक लोगों द्वारा संयुक्त रूप से रखा गया है, डुप्लिकेट एफडीआर जारी करने का अनुरोध उनके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, क्षतिपूर्ति बांड ऐसे प्रत्येक संयुक्त धारक द्वारा निष्पादित किया जाएगा। और एफडीआर की आय, पूर्व-परिपक्व नकदीकरण के मामले में, ऐसे धारकों द्वारा आयोजित संयुक्त खाते में जमा की जाएगी जो या तो हमारे बैंक या किसी अन्य बैंक के साथ बनाए रखा जाएगा।
- क्षतिपूर्ति बांड के अलावा, लाभार्थी से एक वचन लिया जाएगा। उपक्रम में, लाभार्थी विशेष रूप से और कुछ शर्तों में निम्नलिखित की घोषणा करेगा:
 - मूल एफडीआर के नुकसान / विस्थापन की तिथि;
 - परिस्थितियाँ, जिसमें ऐसा नुकसान / विस्थापन हुआ;
 - सभी प्रयास, जैसा कि एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, का पता लगाने के लिए मूल एफडीआर समाप्त हो गए हैं;
 - मामले को शाखा में जल्द से जल्द संभव होने की सूचना दी गई है;
 - मूल एफडीआर लाभार्थी के कब्जे / नियंत्रण से या किसी तीसरे पक्ष द्वारा गलत तरीके से निकाला गया था
 - मूल एफडीआर को किसी भी तीसरे पक्ष को प्राथमिक / संपार्श्विक सुरक्षा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए गिरवी या वितरित या वितरित नहीं किया गया है;
 - यदि मूल एफडीआर शाखा को नुकसान की सूचना देने के बाद स्थित है, तो उसे तुरंत शाखा को सौंप दिया जाएगा।
 - यह उपक्रम लाभार्थी द्वारा निष्पादित क्षतिपूर्ति बांड के अपमान के अलावा है;
 - लाभार्थी समझता है कि डुप्लिकेट एफडीआर जारी करने और वहां भुगतान करने के लिए बैंक के निर्णय के उद्देश्य से उपक्रम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का गठन करता है।
 - उपक्रम को प्रासंगिक और लागू राज्य कानूनों के तहत उचित रूप से मुहर लगाई जानी चाहिए। शुल्क जमाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

19.7 ग्राहकों को समय पर टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करना TIMELY ISSUE OF TDS CERTIFICATE TO CUSTOMERS:

जमाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, शाखाओं को फॉर्म 16 ए में टीडीएस सर्टिफिकेट प्रदान करने की सलाह दी जाती है, ताकि स्रोत पर कटे हुए टैक्स के संबंध में उनके ग्राहकों को। शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे आयकर नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर ग्राहकों को फॉर्म 16A प्रदान करें।

19.8 घरेलू मियादी जमा की अवधि TENOR OF DOMESTIC TERM DEPOSIT:

प्रस्तुत न्यूनतम जमा राशि सात दिनों की होगी। किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा, जहां जमा की समयपूर्व निकासी न्यूनतम अवधि यानी सात दिनों के पूरा होने से पहले होती है।

20. मृतक जमाकर्ता के खाते में बकाए का निपटान SETTLEMENT OF DUES IN DECEASED DEPOSITOR ACCOUNT :

ब्याज के साथ मृतक जमाकर्ता के खाते में देय राशि का निपटान बैंक की "मृत खाता धारकों के संबंध में दावों के निपटान के लिए नीति" द्वारा शासित होगा।

21. खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान SETTLEMENT OF CLAIMS IN RESPECT OF MISSING PERSON

गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। धारा 107 निरंतरता के अनुमान से संबंधित है और धारा 108 मौत के अनुमान के साथ संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, मृत्यु की घोषणा को उसके लापता होने की तारीख से सात साल की अवधि के बाद ही उठाया जा सकता है। इस प्रकार, नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारियों को सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के तहत ग्राहक की मृत्यु का एक अनुमान प्रस्तुत करना होगा। यदि

अदालत यह मानती है कि वह मर गया है, तो एक लापता व्यक्ति के संबंध में दावा उसी के आधार पर तय किया जा सकता है।

ऐसे व्यक्ति के खाते में बकाया राशि का भुगतान नामांकित / कानूनी वारिस को दस्तावेज के उत्पादन पर उनके दावे के खिलाफ किया जाएगा, जैसा कि बैंक द्वारा इस तरह की घटना और दावेदार की पहचान के सबूत के रूप में निर्धारित किया गया है।

हालांकि, आम व्यक्ति को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचने के लिए, आवश्यक रूप से देखते हुए, छूटे हुए व्यक्तियों के संबंध में दावा जो 1 लाख रुपये तक का है या अन्यथा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट केवल निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर निपटाया जा सकता है - ए) एफआईआर बी) पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी की गई गैर-पता लगाने योग्य रिपोर्ट ग) क्षतिपूर्ति पत्र।

22. जमा हेतु बीमा कवर INSURANCE COVER FOR DEPOSITS

सभी बैंक डिपॉजिट कुछ निश्चित सीमाओं और शर्तों के अधीन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DICGC) द्वारा दी गई बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं।

"जमा बीमा कवर" कवरेज की सीमा के साथ पासबुक में शामिल होना चाहिए।

23. स्टॉप पेमेंट सुविधा STOP PAYMENT FACILITY

बैंक जमाकर्ताओं से उनके द्वारा जारी चेक के संबंध में भुगतान निर्देश को स्वीकार करेगा। निर्दिष्ट किए गए शुल्क वसूल किए जाएंगे।

24. खाते को बंद करना CLOSURE OF ACCOUNT

- शाखाएं खाताधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, अप्रयुक्त चेक पत्तियों को प्राप्त करने के बाद खाते को बंद कर दें, यदि कोई हो। यदि निर्धारित न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव नहीं किया जाता है या खाता ठीक से संचालित नहीं किया जाता है या किसी अन्य कारण से खाता धारक को पूर्व सूचना के साथ शाखा किसी भी खाते को बंद कर सकती है। ऐसा करने से पहले, शाखा को खाता बंद करने के लिए लिखित या किसी अन्य माध्यम से संचार के कारणों को निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है।
- यदि कोई मौजूदा ग्राहक वैधानिक दायित्वों (केवाईसी / एएमएल दिशानिर्देश) के तहत आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो बैंक ग्राहक को उचित नोटिस देने के बाद इस तरह के खाते को बंद कर सकता है।

25. स्टेल्ड या पोस्ट डेटेड चेक STALE OR POST DATED CHEQUES

शाखाओं को भुगतान के लिए वर्तमान जमा और बचत बैंक खाते पर तैयार किए गए चेक प्राप्त होंगे। भुगतान करने से पहले, शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि चेक न तो बासी है, न ही 3 महीने से अधिक पुराना है (w.e.f 01.04.2012) और न ही उत्तर दिनांकित है यानी भविष्य की तारीख वहन करेगा।

26. बैंक का सामान्य लियन BANK'S GENERAL LIEN

शाखा को सभी सामान या किसी भी संपत्ति (जो उसके कब्जे में है और जिसमें जमाकर्ता के जमा खाते में क्रेडिट बैलेंस शामिल है) को बनाए रखने का अधिकार है, जब तक कि धारक के सभी दावों को संतुष्ट नहीं किया जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1971 के तहत ग्रहणाधिकार का अधिकार बैंकर को दिया जाता है।

27. शिकायतों का निवारण REDRESSAL OF COMPLAINTS AND GRIEVANCES

शाखाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी भी शिकायत / शिकायत वाले जमाकर्ताओं को ग्राहक की शिकायतों / शिकायतों को संभालने के लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (ies) से संपर्क करने का अधिकार है। शिकायतों / शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित आंतरिक विवरण को शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा। शाखा के अधिकारी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। यदि जमाकर्ता को शिकायत की तारीख से 30 दिनों के भीतर शाखा से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या वह शाखा से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल के पास जाने का अधिकार है।

28. चेक बुक CHEQUE BOOKS

28.1: अधिक संख्या में चेक बुक जारी करना ISSUING LARGE NUMBER OF CHEQUE BOOKS

शाखाएं बड़ी संख्या में पत्तियों के साथ चेक बुक जारी कर सकती हैं यदि ग्राहक एक ही मांग करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी चेक पुस्तकों के पर्याप्त स्टॉक बनाए रखे जाएं।

बड़ी संख्या में चेक बुक जारी करते समय उचित देखभाल की जानी चाहिए। यह नियंत्रण कार्यालय के परामर्श से किया जाना चाहिए। Appropriate care should be taken while issuing large number of cheque books. It should be done in consultation with the Controlling Office.

28.2: किसी भी भाषा में चेक पर लिखना WRITING THE CHEQUES IN ANY LANGUAGE

सभी चेक फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी में छपे होने चाहिए। ग्राहक, हालांकि, हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित क्षेत्रीय भाषा में चेक लिख सकता है।

28.3: कूरियर द्वारा चेक बुक का प्रेषण DISPATCHING THE CHEQUE BOOK BY COURIER

जमाकर्ताओं को शाखा में चेक बुक एकत्र करने और जमाकर्ता द्वारा एक घोषणा को जबरन प्राप्त करने के बाद कूरियर द्वारा डिस्पैच करने के लिए जोर देकर कहा गया है कि कूरियर द्वारा एक डिस्पैचर जमाकर्ता के जोखिम पर एक अनुचित अभ्यास है। इसलिए शाखाओं को जमाकर्ताओं से ऐसे उपक्रम प्राप्त करने से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध पर चेक बुक को काउंटरो पर पहुंचाया जाए।

28.4 भुगतान के लिए राष्ट्रीय कैलेंडर (SAKA SAMVAT) के अनुसार चेकों की स्वीकृति ACCEPTANCE OF CHEQUES BEARING A DATE AS PER NATIONAL CALENDAR (SAKA SAMVAT) FOR PAYMENT

भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 से साका संवत् को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया है और सभी सरकारी वैधानिक आदेश, अधिसूचनाएं, संसद के अधिनियम आदि दोनों तिथियां अर्थात् शक संवत् के साथ-साथ ग्रेगोरी कैलेंडर भी हैं। शक संवत् कैलेंडर के अनुसार हिंदी में लिखी जाने वाली एक सामग्री एक मान्य उपकरण है। राष्ट्रीय कैलेंडर (शक संवत्) के अनुसार हिंदी में असर की तारीख चेक की जानी चाहिए, इसलिए, अन्यथा भुगतान के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। शाखाएं राष्ट्रीय चेक कैलेंडर के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि का पता लगा सकती हैं ताकि बासी चेक के भुगतान से बचा जा सके।

28.5 मल्टीसिटी चेक / सभी शाखाओं पर भुगतान योग्य चेक जारी करना ISSUE OF MULTICITY CHEQUES / PAYABLE AT ALL BRANCHES :

चेक क्लियरिंग में दक्षता लाने के लिए, केवल "बोर्ड पर बराबर" / "बहु-शहर" सीटीएस 2010 जारी करने की सलाह दी गई है, जो उपयुक्त पात्रता के साथ अतिरिक्त शुल्क के बिना सभी पात्र ग्राहकों को मानक जाँचें, जोखिम वर्गीकरण के आधार पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को अनुमोदित करती हैं। पहली बार जारी किए जाने पर सीटीएस -2010 के मानक चेक जारी करने के लिए बचत बैंक खाता ग्राहकों से शुल्क नहीं लेना।

29. विविध MISCELLANEOUS

29.1 पासबुक में प्रविष्टियां / खातों की विवरणी ENTRIES IN PASSBOOKS / STATEMENT OF ACCOUNTS

- शाखाओं और खातों के विवरण में सही और सुयोग्य विवरणों के प्रवेश के लिए शाखाओं द्वारा निरंतर ध्यान सुनिश्चित किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संक्षिप्त, समझदार विवरणों को हमेशा पासबुक / खाते के विवरण में दर्ज किया जाता है।
- जमाकर्ताओं की पासबुक / खातों के विवरण में प्रविष्टियां अक्सर "क्लीयर करके" या "चेक द्वारा" दिखाई जाती हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS) और RBI इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (RBIEFT) के मामले में, विवरण आम तौर पर प्रदान नहीं किए जाते हैं, जबकि प्रेषण के संक्षिप्त विवरण प्राप्त बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कुछ मामलों में, कम्प्यूटरीकृत प्रविष्टियाँ उन कोडों का उपयोग करती हैं जिन्हें अभी डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। जमाकर्ताओं को असुविधा से बचने के उद्देश्य से, पासबुक / खातों के विवरण में इस तरह की अपमानजनक प्रविष्टियों से बचा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पासबुक / स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में संक्षिप्त, समझदार विवरणों को हमेशा दर्ज किया जाए।

29.2 पासबुक अद्यतन करना UPDATING PASSBOOKS

- पासबुक को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए ग्राहकों को अपनी ओर से जागरूक किया जा सकता है और कर्मचारियों को इस क्षेत्र में महत्व देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- बड़ी संख्या में प्रविष्टियों के कारण, पास-बुक को अपडेट करने के लिए वापस आयोजित किया जाता है, पेपर टोकन इसकी प्राप्ति की तारीख को दर्शाता है और यह भी कि यह कब एकत्र किया जाना है।
- यह कभी-कभी देखा जाता है कि ग्राहक बहुत लंबे समय के बाद अपडेशन के लिए अपनी पासबुक जमा करते हैं। पासबुक में छपे निर्देशों के अलावा, जब भी कोई पासबुक लंबे समय के अंतराल के बाद या बहुत बड़ी संख्या में लेन-देन के बाद पोस्ट करने के लिए टेंडर किया जाता है, तो समय-समय पर इसे निविदा के लिए जमाकर्ता से अनुरोध करने के लिए एक मुद्रित पर्ची दी जानी चाहिए।

29.3 पासबुक खाता विवरणी में शाखा का पता/टेलीफोन संख्या ADDRESS / TELEPHONE NUMBER OF THE BRANCH IN PASS BOOKS / STATEMENT OF ACCOUNTS

शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि शाखा का पूरा पता / टेलीफोन नंबर, खाताधारकों को जारी किए गए खातों की पासबुक / विवरण पर अनिवार्य रूप से उल्लिखित है।

29.4 बचत खाता पासबुक का रख-रखाव – सावधानियाँ MAINTENANCE OF SAVINGS BANK PASS BOOKS - PRECAUTIONS

बचत बैंक पास बुक के संरक्षण में पर्याप्त देखभाल करने में लापरवाही रिश्तेदार खातों से धोखाधड़ी को वापस लेने की सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में कुछ सावधानियां नीचे दी गई हैं:

- शाखाओं को पास पुस्तकों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें टोकन के खिलाफ वापस करना चाहिए।
- अपडेशन के लिए शाखाओं के साथ रखी गई पासबुक को नामित जिम्मेदार अधिकारियों की हिरासत में रखा जाना चाहिए।
- पास बुक को शाखा के साथ बनाए रखने के दौरान, उन्हें रात भर लॉक और की के नीचे रखा जाना चाहिए और काउंटर पर खुले में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

29.5 खातों का मासिक विवरणी प्राप्त करना PROVIDING MONTHLY STATEMENT OF ACCOUNTS.

- शाखाएँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि खाते का विवरण भेजते समय वे मासिक आवधिकता का पालन करें।
- चालू खाताधारकों के खातों के विवरण जमाकर्ताओं को हर महीने लक्ष्य तिथि द्वारा भेजने के बजाय कंपित तरीके से भेजे जा सकते हैं। ग्राहकों को इन वक्तव्यों की तैयारी के बारे में सूचित किया जा सकता है। अनुरोध के अनुसार विवरण मोबाइल पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- समय पर बयान भेजे जा रहे हैं या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए शाखाओं के आंतरिक निरीक्षण के समय नमूना जांच करने के लिए अधिकारियों का निरीक्षण।

29.6 पासबुक / खाता विवरणी पर एमआईसीआर कोड एवं आईएफएससी कोड का मुद्रण PRINTING OF MICR CODE AND IFSC CODE ON PASSBOOK / STATEMENT OF ACCOUNT

सभी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS - क्रेडिट और डेबिट) लेनदेन के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन (MICR) कोड आवश्यक है और भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT और रियल टाइम ग्रॉस) के लिए पूर्व-आवश्यकता है निपटान (RTGS) लेनदेन। वर्तमान में, यह जानकारी शाखा के IFSC कोड के साथ चेक लीफ पर उपलब्ध कराई गई है। ये सभी पासबुक / खातों के विवरण में भी प्रदान किए जाने हैं।

30. एक शाखा से दूसरी शाखा में खाता का अंतरण TRANSFER OF ACCOUNT FROM ONE BRANCH TO ANOTHER

किसी ग्राहक को उसके खाते को दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने के निर्देश तुरंत प्राप्त होने पर, और उसके निर्देशों के अनुसार किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खाते के शेष राशि के साथ, संबंधित खाता खोलने का फॉर्म, नमूना हस्ताक्षर कार्ड, स्थायी निर्देश आदि, या जहां भी प्राप्त हो, मास्टर शीट भी एक साथ ग्राहक को सलाह के तहत हस्तांतरित की जाएं। खाता खोलने के छह महीने के भीतर किसी भी खाते को किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। जब खाते को ज़ोन से बाहर स्थानांतरित किया जाना है, तो ज़ोनल हेड की 10 लाख रुपये से ऊपर की शेष राशि की आवश्यकता है।

बाड़ों के साथ खाता अंतरण प्रपत्र ग्राहक को एक सीलबंद कवर में सौंपा जा सकता है यदि वह ट्रांसफ़ेरे कार्यालय / शाखा में डिलीवरी के लिए इच्छा रखता है। हालाँकि, ट्रांसफ़ेरे कार्यालय को मूल रूप से तुलना करने के लिए प्रपत्रों की प्रतियों के साथ खाता हस्तांतरण पत्र की एक प्रति के साथ अलग से आपूर्ति की जानी चाहिए।

जब किसी कार्यालय को किसी ग्राहक द्वारा दूसरे कार्यालय से स्थानांतरण पर उसके खाते की प्राप्ति के संबंध में एक जांच प्राप्त होती है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा हस्तांतरणकर्ता कार्यालय से बात करनी चाहिए, यदि उसे खाते और / या अन्य से शेष राशि प्राप्त नहीं हुई है। एक सप्ताह से अधिक नहीं के उचित पारगमन समय के बाद भी कागजात।

31. बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि MINIMUM BALANCE IN SAVING BANK ACCOUNTS:

खाते खोलने के समय, शाखाओं को अपने ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से सूचित करना चाहिए कि यदि न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव नहीं किया जाता है, तो उन्हें न्यूनतम शेष राशि और प्रभार लगाने आदि की आवश्यकता होती है। बाद में लगाए गए किसी भी शुल्क को पारदर्शी रूप से सभी जमाकर्ताओं को एक महीने के नोटिस के साथ अग्रिम रूप से पता होना चाहिए। शाखाओं को सूचित करना चाहिए, कम से कम एक महीने पहले, निर्धारित न्यूनतम शेष में किसी भी परिवर्तन

के मौजूदा खाताधारकों और निर्धारित न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव नहीं किए जाने पर लगाए जाने वाले शुल्क। शाखाओं को किसी भी निष्क्रिय खाते में न्यूनतम शेष के गैर-रखरखाव के लिए दंडात्मक शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है।

31.1 दिनांक 01.04.2015 से दंडात्मक शुल्क लगाया जाना LEVY OF PENAL CHARGES WITH EFFECT FROM 01.04.2015

बैंक खातों को बचाने में न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव न करने पर दंड शुल्क का भुगतान निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अधीन होगा:

- न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव में चूक की स्थिति में, बैंक को ग्राहक को एसएमएस / ईमेल / पत्र आदि से स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि सूचना की तारीख से एक महीने के भीतर खाते में न्यूनतम शेष राशि बहाल नहीं होने की स्थिति में, दंडात्मक शुल्क लागू होगा।
- यदि न्यूनतम शेष राशि एक उचित अवधि के भीतर बहाल नहीं की जाती है, जो कि कमी की सूचना की तारीख से एक महीने से कम नहीं होगी, तो खाताधारक को सूचना के तहत दंडात्मक शुल्क वसूला जा सकता है।
- दंडित किए गए शुल्कों को प्रत्यक्ष रूप से मनाई गई कमी की सीमा के अनुपात में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रभार वास्तविक खाते के बीच अंतर की मात्रा पर एक निश्चित प्रतिशत लगाया जाना चाहिए और खाता खोलने के समय सहमति के अनुसार न्यूनतम शेष राशि।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बचत खाते में शेष राशि नकारात्मक शेष राशि में नहीं बदल जाती है।

32. रु. 50000/- एवं उससे अधिक मूल्य की निधि का विप्रेषण REMITTANCE OF FUNDS FOR VALUE OF Rs 50,000/- AND ABOVE

शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिमांड ड्राफ्ट / मेल ट्रांसफर / टेलीग्राफिक ट्रांसफर या किसी अन्य मोड के माध्यम से धनराशि का कोई प्रेषण और 50,000 / - रुपये और उससे अधिक के यात्रियों के चेक का मुद्दा केवल ग्राहक द्वारा डेबिट या चेक के खिलाफ या उसके खिलाफ है। खरीदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य उपकरण नकद भुगतान के खिलाफ नहीं हैं। वर्तमान परिदृश्य में, जहां सामान्य रूप से वित्तीय प्रणाली की अखंडता और विशेष रूप से बैंकिंग चैनलों का महत्व अधिक है, इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन व्यापक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों के मद्देनजर गंभीर नियामक चिंता का विषय है। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से देखा जाएगा।

33. काउंटर पर नकद स्वीकार करना ACCEPTANCE OF CASH OVER THE COUNTER :

परिभाषा के अनुसार, बैंकिंग का अर्थ है, ऋण और निवेश के उद्देश्य से जनता से धन जमा करना। जैसे, बैंक किसी भी उत्पाद को डिजाइन नहीं कर सकते हैं जो बैंकिंग के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, नियमों और शर्तों में इस तरह के खंडों को शामिल करना जो काउंटर्स पर नकदी के जमा को प्रतिबंधित करते हैं, एक अनुचित अभ्यास के लिए भी राशि हैं।

शाखाओं को इसलिए सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी ग्राहकों से काउंटर्स पर नकदी स्वीकार करें, जो काउंटर्स पर नकदी जमा करने की इच्छा रखते हैं।

34. सुरक्षित जमा लॉकर SAFE DEPOSIT LOCKERS

यह सुविधा सभी बैंक शाखाओं के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है और जहाँ भी सुविधा की पेशकश की जाती है, सुरक्षित जमा तिजोरी का आवंटन सेवा से जुड़े अन्य नियमों और शर्तों की उपलब्धता और अनुपालन के अधीन होगा। सुरक्षित जमा लॉकर एक व्यक्ति (नाबालिग नहीं) द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति (एस), एचयूएफ, फर्मो, सीमित कंपनियों, सहयोगियों, समाजों, ट्रस्टों आदि के साथ किराए पर लिया जा सकता है। नामांकन की सुविधा व्यक्तिगत (ओं) को उपलब्ध है। लॉकर्स अकेले या संयुक्त रूप से। संयुक्त नामों में रखे गए लॉकर के संबंध में, दो नामांकित व्यक्ति तक नियुक्त किए जा सकते हैं। संयुक्त लॉकर धारक जमा खातों के समान लाइनों पर धारकों में से एक की मृत्यु की स्थिति में लॉकर तक पहुंच के लिए जनादेश दे सकते हैं। लॉकर की सामग्री के निपटान के लिए नामांकन या जनादेश की अनुपस्थिति में, बैंक खातों को जमा करने के लिए लागू की गई तर्ज पर कानूनी वारिसों के लिए लॉकर की सामग्री जारी करेगा।

35. काउंटर पर सेवा SERVICE AT THE COUNTERS

35.1 बैंकिंग अवधि में परिवर्तन CHANGES IN BANKING HOURS

कोई विशेष बैंकिंग घंटे कानून द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं और एक बैंक तय कर सकता है, अपने ग्राहकों को उचित सूचना के बाद, जो भी व्यावसायिक घंटे इसके लिए सुविधाजनक हैं, यानी, डबल शिफ्ट में काम करने के लिए, रविवार के अलावा किसी अन्य दिन या छुट्टी के दिन काम करना। सामान्य कामकाजी दिनों के अलावा रविवार को, सार्वजनिक लेनदेन के लिए सामान्य कामकाजी घंटे देखने के अधीन।

यदि कोई भी शाखा सार्वजनिक अवकाश के अलावा एक दिन को बंद करना चाहती है, तो उन्हें संबंधित सभी पक्षों को उचित और पर्याप्त नोटिस देना होगा जो इस तरह के बंद होने से प्रभावित होने की संभावना है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, यथोचित सूचना के लिए क्या पर्याप्त है, तथ्य का प्रश्न है। किसी अन्य प्रासंगिक स्थानीय कानूनों जैसे कि दुकानों और स्थापना अधिनियम, आदि के किसी भी उल्लंघन से बचने के लिए भी आवश्यक है।

इसके अलावा, प्रावधान, यदि कोई हो, तो औद्योगिक अवार्ड / सेटलमेंट के तहत कर्मचारियों को बैंकों के दायित्वों के संबंध में अनुपालन करना चाहिए। स्थान के क्लियरिंग हाउस प्राधिकरण से भी इस संबंध में सलाह ली जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ व्यावसायिक घंटे (यानी घंटों की संख्या, साथ ही समय) और साप्ताहिक अवकाश को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ठीक कर सकती हैं। हालांकि, यह सार्वजनिक लेनदेन के लिए सामान्य कामकाजी घंटे देखने के अधीन किया जा सकता है।

35.2 कार्य अवधि को शुरू करना / बढ़ाया जाना COMMENCEMENT / EXTENSION OF WORKING HOURS

व्यावसायिक घंटे शुरू होने से 15 मिनट पहले कर्मचारियों के काम के दिनों को महानगरीय और शहरी केंद्रों की शाखाओं में बैंकों द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसे स्थानीय दुकानों और प्रतिष्ठानों अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए।

शाखा प्रबंधकों और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों को, हालांकि, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के सदस्य अपने संबंधित काउंटरों पर बैंकिंग समय की शुरुआत से और निर्धारित व्यावसायिक घंटों के दौरान उपलब्ध हों ताकि ग्राहकों के लिए शिकायत करने के लिए कोई आधार न हो।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यावसायिक घंटों के दौरान कोई भी काउंटर अप्राप्य न रहे और ग्राहकों को निर्बाध सेवा प्रदान की जाए। इसके अलावा, शाखाओं को इस तरह से काम आवंटित करना चाहिए कि बैंकिंग के दौरान कोई टेलर काउंटर बंद न हो।

व्यवसाय के समय के करीब होने से पहले बैंकिंग हॉल में प्रवेश करने वाले सभी ग्राहकों को उपस्थित होना चाहिए।

35.3 गैर-नकदी बैंकिंग लेनदेन हेतु कार्य-अवधि को बढ़ाया जाना EXTENDED BUSINESS HOURS FOR NON-CASH BANKING TRANSACTIONS

बैंकों को काम के घंटों के बंद होने से एक घंटे पहले तक, नकदी के अलावा बैंकिंग लेनदेन के लिए व्यावसायिक घंटे बढ़ाना चाहिए।

निम्नलिखित गैर-नकद लेनदेन को बैंकों द्वारा विस्तारित घंटों के दौरान किया जाना चाहिए, अर्थात्, कार्य दिवसों के बंद होने से एक घंटे पहले तक:

(a) बिना वाउचर वाले लेनदेन Non-voucher generating transactions :

- पासबुक/खाता विवरणी जारी करना Issue of pass books/statement of accounts;
- चेक बुक जारी करना Issue of cheque books ;
- मियादी जमा रसीद/ड्राफ्ट प्रदान करना Delivery of term deposit receipts/drafts;
- शेयर आवेदन फॉर्म स्वीकार करना Acceptance of share application forms;
- समाशोधन हेतु चेक स्वीकार करना Acceptance of clearing cheques;
- संग्रहण हेतु बिल स्वीकार करना Acceptance of bills for collection.

(b) वाउचर वाले लेनदेन Voucher generating transactions:

- मियादी जमा रसीद जारी करना Issue of term deposit receipts;
- लॉकर किराए के बकाए हेतु चेक स्वीकार करना Acceptance of cheques for locker rent due;
- ट्रेवलर चेक जारी करना Issue of travellers cheques;
- गिफ्ट चेक जारी करना Issue of gift cheques;
- अंतरण जमा हेतु व्यक्तिगत चेक स्वीकार करना Acceptance of individual cheques for transfer credit.

विस्तारित व्यावसायिक घंटों के दौरान किए जाने वाले ऐसे गैर-नकद लेनदेन को ग्राहकों की जानकारी के लिए पर्याप्त रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए।

शहरी / महानगरीय केंद्रों में शाखाएँ अपने मौजूदा परिसर में शाम के काउंटरों को व्यवसाय के सामान्य घंटों से परे जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए रख सकती हैं ताकि ग्राहक सेवा में सुधार लाया जा सके। यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में व्यापार के ऐसे विस्तारित घंटों के दौरान किए गए लेन-देन को शाखा के मुख्य खातों के साथ मिला दिया जाता है जहां पूर्वोक्त सुविधाएं प्रदान करना तय किया जाता है।

उपर्युक्त शाखाओं को अपने समाचार पत्रों को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से विस्तारित बैंकिंग घंटों के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में उचित सूचना देनी चाहिए, साथ ही संबंधित शाखा के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना प्रदर्शित करके। इसके अलावा, जब और किसी भी शाखा के व्यवसाय के घंटे बढ़ाए जाते हैं, तो संबंधित क्लियरिंग हाउस को सूचित किया जाना चाहिए।

36. ग्राहकों का स्टैंडिंग इन्स्ट्रक्शन स्वीकार करना ACCEPTING STANDING INSTRUCTIONS OF CUSTOMERS

सभी मौजूदा और बचत बैंक खातों पर स्थायी निर्देशों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। कर्ष, किराए, बिलों, स्कूल / कॉलेज की फीस, लाइसेंस आदि के भुगतान को शामिल करने के लिए स्थायी निर्देश सेवा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

37. लेनदेन को पूर्णांकित करना ROUNDING OFF OF TRANSACTIONS

जमा पर ब्याज के भुगतान सहित सभी लेनदेन, अग्रिमों पर ब्याज की चार्जिंग, निकटतम रुपये पर गोल किया जाना चाहिए अर्थात्, 50 पैसे और उससे अधिक के फ्रैक्चर को अगले उच्च रुपये के लिए गोल किया जाएगा और 50 पैसे से कम का अंश होगा। अवहेलना करना। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक रुपये के अंशों वाले ग्राहकों द्वारा जारी किए गए चेक / ड्राफ्ट अस्वीकार या अस्वीकृत नहीं हैं।

38. ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता कोड CODE OF BANK'S COMMITMENT TO CUSTOMERS

शाखाओं को ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता संहिता के विभिन्न प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जिसके कार्यान्वयन की निगरानी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (BCSBI) द्वारा की जाती है।

39. परिचालन संबंधी मामलों पर स्पष्टीकरण CLARIFICATION ON OPERATIONAL MATTERS

एमडी और सीईओ / कार्यपालक निदेशक इस नीति से संबंधित सभी परिचालन मामलों पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिकृत हैं। बैंक समय-समय पर नीतिगत मुद्दों को संशोधित करने का अधिकार भी रखता है।

अनुबंध ANNEXURE

1. आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) The Officially Valid Documents (OVDs) : पीएमएलए के अनुसार ओवीडी का अर्थ है As per PMLA the OVDs means:

पीएमएलए के अनुसार ओवीडी का अर्थ है

- (i) पासपोर्ट
- (ii) ड्राइविंग लाइसेंस
- (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड
- (iv) भारतीय चुनाव आग द्वारा जारी वोटर पहचान-पत्र
- (v) राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड
- (vi) नाम और पते का विवरण युक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र

2. सरलीकृत प्रक्रिया हेतु आईडी प्रूफ के लिए ओवीडी OVDs for ID proof for simplified procedure

- i) केंद्र / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए आवेदक की तस्वीर वाला पहचान पत्र।
- ii) एक गजट अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसकी विधिवत रूप से सत्यापित तस्वीर है।

3. सरलीकृत प्रक्रिया के लिए पते के प्रमाण के लिए ओवीडी OVDs for address proof for simplified procedure

- i) उपयोगिता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइपड गैस, जल बिल) के दो महीने से अधिक पुराना नहीं है
- ii) संपत्ति या नगर निगम की रसीद

- iii) बैंक खाता या डाकघर बचत खाता की विवरणी
- iv) पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं, यदि उनके पते हैं।
- v) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र। विभाग, सांविधिक नियामक निकाय, पीएसयू, एससीबी, एफआई और सूचीबद्ध कंपनियां। इसी तरह ऐसे नियोक्ताओं के साथ छुट्टी और लाइसेंस समझौते जो सरकारी आवास आवंटित करते हैं।
- vii) सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़। विदेशी क्षेत्राधिकार के विभाग और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र।

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 1.6.2017 की संशोधित संशोधन के साथ ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करते समय प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज़। Documents to be obtained while establishing relationship with customers as amended vide Gazette Notification of Govt. of India dated 01.06.2017

क्रम सं	ग्राहकों के प्रकार	बैंकों के साथ खाता आधारित संबंध के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1.	व्यक्तियों के खाते Accounts of Individuals	a) एक व्यक्ति से जो आधार के नामांकन के लिए पात्र है, आधार संख्या; समय-समय पर संशोधित आयकर खाते, 1962 में स्थायी खाता संख्या (पैन) या फॉर्म नंबर 60; • यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया आधार नंबर • पैन या फॉर्म 60 को आयकर नियम 1962 में परिभाषित किया गया है और इस तरह के अन्य दस्तावेज़ जिसमें ग्राहक की व्यवसाय और वित्तीय स्थिति की प्रकृति के संबंध में बैंक की आवश्यकता हो सकती है। जहां एक ग्राहक को आधार नंबर नहीं सौंपा गया है, वह आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, जिसमें नामांकन 6 महीने से अधिक पुराना नहीं है और यदि पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ों की एक प्रमाणित प्रति" (OVDs) "पहचान और पते का विवरण और एक हालिया तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी। दस्तावेज़ को "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़" माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई परिवर्तन हो, बशर्ते कि यह राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जो नाम के ऐसे परिवर्तन का संकेत देता है बशर्ते, किसी व्यक्ति से, जो जम्मू-कश्मीर या असम या मेघालय राज्य का निवासी हो, और जो आधार के लिए आधार या नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है, निम्नलिखित प्राप्त किया जाएगा: i. पहचान और पते के विवरण युक्त एक OVD की प्रमाणित प्रति और ii. एक हाल ही का फोटोग्राफ one recent photograph b) एक ऐसे व्यक्ति से, जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने के योग्य नहीं है, या जो निवासी नहीं है, निम्नलिखित प्राप्त किया जाएगा; i) समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम 1962 में परिभाषित पैन या फॉर्म नंबर 60 ii. एक हाल ही का फोटो iii. पहचान और पते के विवरण युक्त एक OVD की प्रमाणित प्रति। बशर्ते कि किसी विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का ब्योरा नहीं होता है, ऐसे मामले में विदेशी न्यायालयों के सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

		c) यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या से संबंधित पहचान की जानकारी में वर्तमान पता नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए ग्राहक से एक ओवीडी प्राप्त किया जाएगा। “बशर्ते कि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता शामिल नहीं है, पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को ओवीडी माना जाएगा: - उपयोगिता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइपड गैस, पानी का बिल) के दो महीने से अधिक पुराना नहीं है; ii. संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद; property or Municipal tax receipt; iii. पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं, यदि उनके पास पता है; iv. राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और ऐसे नियोक्ताओं के साथ आधिकारिक आवास आवंटित करते हुए लाइसेंस और अनुबंध; बशर्ते कि ग्राहक उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ अद्यतन आधार या ओवीडी प्रस्तुत करेगा।
2.	कंपनी के खाते Accounts of companies	- निगमन प्रमाणपत्र Certificate of Incorporation - ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम Memorandum and Articles of Association - निदेशक मंडल और उसके वकीलों, अधिकारियों या कर्मचारियों को अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी से एक संकल्प; तथा - एसआई नंबर 1 (व्यक्तियों का लेखा) में उल्लिखित जानकारी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में, जो अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखते हैं।
3.	पंजीकृत भागीदारी फर्म के खाते	- पंजीकरण प्रमाणपत्र Registration certificate; - साझेदारी विलेख; एवं Partnership deed; and - एसआई नंबर 1 (व्यक्तियों का लेखा) में उल्लिखित पहचान की जानकारी, जो अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में है।
4.	न्यास एवं संगठन का खाता	- पंजीकरण प्रमाण-पत्र Registration Certificate; - न्यास विलेख; एवं Trust Deed; and - एसआई नंबर 1 (व्यक्तियों का लेखा) में उल्लिखित पहचान की जानकारी, जो अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में है।
5.	व्यक्तियों के असंगठित संघ या निकाय के खाते (साझेदारी फर्म या ट्रस्ट या नींव आदि)	- ऐसे एसोसिएशन या व्यक्तियों के शरीर के प्रबंधन निकाय का रिजुलुसन; - पावर ऑफ अटॉर्नी ने उसे अपनी ओर से लेन-देन करने की अनुमति दी; ; - एसआई नंबर 1 (व्यक्तियों का लेखा) में उल्लिखित पहचान की जानकारी जो कि उसकी ओर से लेन-देन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में है। • एक वकील रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में एसआई नंबर 1 (व्यक्तियों का लेखा) में उल्लिखित पहचान की जानकारी। अपनी ओर से लेन-देन। iv) इस तरह की जानकारी बैंक द्वारा व्यक्तियों के ऐसे संघ या निकाय को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है।
6.	प्रोपराइटरशिप के खाते	1. व्यक्तिगत (प्रोपराइटर) के संबंध में एसआई नंबर 1 (व्यक्तियों का लेखा) में उल्लिखित पहचान सूचना

	Accounts of Proprietorship concerns	2. उपर्युक्त के अलावा, मालिकाना फर्म के नाम पर व्यावसायिक गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी दो दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे: ○ पंजीकरण प्रमाण-पत्र Registration certificate (पंजीकृत के मामले में in the case of a registered concern) ○ दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस ○ बिक्री और आयकर रिटर्न ○ सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाण-पत्र ○ बिक्री कर / सेवा कर / व्यावसायिक कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पंजीकरण दस्तावेज ○ आईसीसी (आयातक निर्यातक कोड) डीजीएफटी / लाइसेंस के कार्यालय द्वारा मालिकाना चिंता के लिए जारी किया गया / एक प्रमाण पत्र के तहत कॉर्पोरेट में किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा मालिकाना चिंता के नाम पर जारी किए गए अभ्यास का प्रमाण पत्र। ○ पूरी तरह से उस मालिक के नाम पर आयकर रिटर्न (केवल पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, विधिवत प्रमाणित / आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ○ बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल।
7.	स्वयं सहायता समूह के खाते	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन एसएचजी के बचत बैंक खाते खोलते समय आवश्यक नहीं है और केवल एसएचजी के अधिकारियों के केवाईसी सत्यापन पर्याप्त होगा। एसएचजी को जोड़ने वाले क्रेडिट के समय किसी अलग केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है।
8.	ज्यूरिडिकल व्यक्तियों जैसे सरकार के खाते। या इसके विभाग, सोसायटी, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत आदि सरकार जैसे न्यायिक व्यक्तियों की गणना। या इसके विभाग, समाज, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत आदि	Certified copies of the following documents to be obtained: • इकाई की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दिखाने वाला दस्तावेज। • आधार / पैन / आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (OVDs) अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए अटॉर्नी की शक्ति रखने वाले व्यक्ति के संबंध में पहचान और पते के प्रमाण के लिए • इस तरह के एक दस्तावेज / न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया "अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंड/धन-शोधन निवारण (एएमएल) मानदंड/ आतंकवाद के वित्तपोषण का संयोजन (सीएफटी)" और हमारे बैंक के परिपत्र सं. CHO/COMP/03/2017-18 dated 06.01.2018 and CHO/COMP/02/2018-19 dated 19.05.2018 देखें		